वार्षिक रिपोर्ट
2020-21

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

(इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

सीआईएन: U74999DL2018GOI334028

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉन वीकेईएल) की वार्षिक रिपोर्ट की विषयवस्तु

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	कंपनी का प्रोफाइल	1
2.	निदेशक की रिपोर्ट	5
	❖ एमजीटी-9	19
	❖ एओसी-2	32
	❖ सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	34
3.	कंपनी के वित्तीय विवरण	
	❖ लेखापरीक्षा रिपोर्ट	40
	❖ तुलनपत्र	52
	❖ लाभ और हानि विवरण	53
	❖ रोकड़ प्रवाह विवरण	54
	❖ इक्विटी परिवर्तन विवरण	55
	❖ लेखों संबंधी नोट और अन्य विवरणात्मक सूचना	56
4.	वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	124

कंपनी परियोजना

"हाइब्राइड वार्षिकी आधार (चरण-।क-पैकेज-।।) पर एनएचडीपी चरण-VI के अंतर्गत गुजराज राज्य में किमी 323.00 से किमी 355.00 तक (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के सनपा से पेड्रा खंड) आठ लेन वाला वडोदरा किम एक्सप्रेसवे"

निदेशक मंडल

श्री योगेश कुमार मिश्रा, अध्यक्ष
श्री अशोक कुमार गोयल, निदेशक
श्री सुरजीत दत्ता, निदेशक
सुश्री रितु अरोडा, निदेशक
श्री मसूद अहमद, निदेशक

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

श्री नितेश कुमार जी. असती, मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री राज कुमार, मुख्य वित्त अधिकार
सुश्री रिची महाजन, कंपनी सचिव

सांविधिक लेखापरीक्षक
मैसस एन.सी.राज एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

लागत लेखापरीक्षक
मैसर्स आर.एम बंसल एंड कंपनी
लागत लेखापरीक्षक

आंतरिक लेखापरीक्षक
मैसर्स बसल सिन्हा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

सचिवीय लेखापरीक्षक
मैसर्स वशिष्ठ एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव

कंपनी के सीपीसी संविदाकार
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

कंपनी के बैंकर
इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ बडोदा

सम्पर्क अधिकारी
सुश्री रिची महाजन, कंपनी सचिव
ईमेल : csirconvkel@gmail.com
दूरभाष: 011-26545000

पंजीकृत कार्यालय
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

निदेशक मंडल

श्री योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष

श्री अशोक कुमार गोयल
निदेशक

सुश्री रितु अरोड़ा
निदेशक

श्री सुरजीत दत्ता
निदेशक

श्री मसूद अहमद
निदेशक

वडोदरा किम एक्सप्रेसवे परियोजना की फोटाग्राफ

निदेशक की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

आपके निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और व्यावसायिक गतिविधियों सहित **तीसरी वार्षिक रिपोर्ट** प्रस्तुत करते हुए अत्यंत संतोष हो रहा है।

व्यावसायिक प्रचालनिक विशेषताएं: कंपनी के कार्यों की वर्तमान स्थिति

इरकॉन वीकेईएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसका निगमन गुजरात राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना कार्यों के निष्पादन के लिए 16 मई, 2018 को विशेष कार्य व्यवस्था (एसपीवी) के रूप में किया गया था। इरकॉन वीकेईएल का मुख्य उद्देश्य अभिकल्प, निर्माण, वित्तपोषण, प्रचालन और हस्तांतरण के आधार पर वार्षिकी मोड (चरण Iक- पैकेज II) एनएचडीपी चरण - VI हाइब्रिड के तहत गुजरात राज्य में किमी 323.00 से किमी 355.00 तक (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के सनपा से पेडरा खंड) तक आठ लेन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन के कार्य को निष्पादित करना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा इरकॉनवीकेईएल को दी गई बोली परियोजना लागत 1865 करोड़ रूपए है।

इरकॉन वीकेईएल ने दिनांक 25 मई, 2018 को एनएचएआई के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वित्तीय समापन दिनांक 25 सितंबर 2018 को प्राप्त किया गया है और एनएचएआई द्वारा निर्धारित नियुक्ति तिथि 31 जनवरी 2019 है। एनएचएआई की ओर से दो किस्तों में 186.50 करोड़ रुपये का मोबिलाइजेशन अग्रिम प्राप्त किया गया है। पहली, दूसरी और तीसरी परियोजना के लक्ष्यों को क्रमशः दिनांक 27 सितंबर, 2019, 25 जनवरी, 2020 और 30 मार्च, 2021 को प्राप्त कर लिया गया है। अनंतिम वाणिज्यिक संचालन तिथि (पीसीओडी) दिनांक 31.12.2021 के अंत तक प्राप्त किए जाने की संभावना है।

कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण, स्वतंत्र अभियंता (आईई) ने 236 दिनों के अंतरिम विस्तार (ईओटी) की सिफारिश की है, जिसके लिए एनएचएआई ने पहले ही 180 दिनों (31.07.2021 तक) के अंतरिम ईओटी को मंजूरी दे दी है। दिनांक 31 जुलाई, 2021 प्राप्त भौतिक प्रगति और वित्तीय प्रगति क्रमशः 81.44% और 79.75% है।

कोविड-19 की पहली लहर के कारण 180 दिनों के उपरोक्त समय विस्तार को स्वीकृत किया गया था। दूसरी लहर, जिसने परियोजना की प्रगति/पूर्णता को भी गंभीर रूप से बाधित किया है, के लिए 180 दिनों का अतिरिक्त विस्तार देने के लिए प्राधिकरण से अनुरोध किया गया है। प्राधिकरण कोविड की दूसरी लहर के कारण एचएएम और अन्य परियोजनाओं का समय बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। सीओडी की उपलब्धि की संभावित तिथि 31.12.2021 है और निष्पादन चरण को दिनांक 31.01.2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के पश्चात, एनएचएआई की अनुमति के साथ, कंपनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) से 72412 लाख रूपए की मंजूरी के लिए सावधि ऋण सुविधा का लाभ उठाया है। ₹72412 लाख में से, बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिनांक 19.07.2021 को इरकॉनवीकेईएल को ₹58950 लाख वितरित किए हैं, जिसका उपयोग इरकॉन को ₹58950 लाख की संपूर्ण बकाया ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिए दिनांक 19.07.2021 को किया गया है।

वित्तीय विशेषताएं

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के तहत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किया है। तदनुसार, इंड एएस के अनुपालन हेतु लेखांकन नीतियों को पुन:निर्धारित किया गया है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को वित्तीय निष्पादन सूचक:

(राशि लाख रूपए में)

क्र.सं	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु
1.	इक्विटी शेयर पूंजी	1,000.00	1,000.00
2.	अन्य इक्विटी (रिजर्व और अतिरेक सहित)	12,633.52	12,605.98
3.	निवल परिसंपत्ति	13,633.52	13,605.98
4.	कर्ज (वर्तमान परिपक्वता सहित)	58950.00	18,100.00
5.	विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	-	-
6.	**कुल संपत्ति और देनदारियां**	**78,934.74**	**58,960.06**
7.	संचालन से राजस्व	48,761.53	61,928.13
8.	अन्य आय	42.22	31.79
9.	**कुल आय (7) + (8)**	48,803.75	61,959.92
10.	परिचालन लागत	46787.21	61027.19
11.	अन्य व्यय (वेतन और प्रशासनिक व्यय)	1974.32	900.94
12.	**कुल खर्च (10)+(11)**	48,761.53	61.928.13
13.	**कर पूर्व लाभ (9)-(12)**	42.22	31.79
14.	कराधान के लिए प्रावधान (वर्तमान/ पूर्व) वर्ष हेतु कर/आस्थगित कर)	14.68	7.80
15.	**कर पश्चात लाभ**	**27.54**	**23.99**
16.	प्रति इक्विटी शेयर आय (i) मूल (ii) विलयित	 0.28 0.28	 0.30 0.30
17.	प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य	10.00	10.00

3. लाभांश और आरक्षित निधि का विनियोजन:

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

इंड एएस की अनुप्रयोज्यता के अनुसार, आरक्षित निधि को वित्तीय विवरणों में 'अन्य इक्विटी' के तहत प्रतिधारित आमदनी के रूप में परिलक्षित किया जाता है और आपकी कंपनी के पास दिनांक 31 मार्च 2021 तक प्रतिधारित आमदनियों में 56.52 लाख रूपए की शेष राशि है।

4. शेयर पूंजी /डीमेटिरियलाइजेशन:

दिनांक 31 मार्च 2021 को कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी और प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमश: 1000 लाख रुपये है, जिसमें प्रति 10 रूपए के 10,00,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी की शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) के पास इरकॉनवीकेईएल की 100% प्रदत्त शेयर पूंजी है।

31 मार्च, 2021 तक, प्रमोटर कंपनी (इरकॉन) ने ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 12577 लाख रूपए का निवेश किया है (जिसे वित्तीय विवरणों में 'अन्य इक्विटी' शीर्षक के तहत "अन्य रिजर्व" के रूप में शामिल किया गया है) इक्विटी शेयर पूंजी में 1000 लाख रूपए के अतिरिक्त, 13577 लाख रूपए की इक्विटी शेयर पूंजी के कुल निवेश से अधिक नहीं।

कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) संशोधन नियम, 2019 दिनांक 22.01.2019 के नियम 9ए के अनुसार, कंपनी के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) होने के नाते अपनी प्रतिभूतियों को डीमैट रूप में प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

5. परियोजना से रोकड़ प्रवाह:

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान परियोजना गतिविधियों से कुल रोकड़ प्रवाह रूपए **(39452.47) लाख रूपए** है।

6. सहायक/संयुक्त उद्यम/ संबद्ध कंपनियों का विवरण:

समीक्षाधीन अवधि के लिए कंपनी की कोई सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी नहीं थी।

7. कोविड-19 का प्रभाव:

कोविड-19 वैश्विक महामारी, इस वर्ष का सर्वाधिक ज्वलंत विषय रहा है, जिसने अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित किया है और कई लोगों, कई उद्योगों, वित्तीय बाजारों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में काम करने वाले व्यवसायों के जीवन को बाधित किया है।

कोविड-19 के बीच, निर्माण उद्योग को अत्यधिक हानि हुई है और संविदात्मक दायित्वों, संसाधनों की उपलब्धता, डिलिवरेबल्स, स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों और परियोजना में देरी या रद्द करने के संबंध में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा है।

कोविड-19 महामारी की पहली लहर और सरकार द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन निर्देशों के कारण, परियोजना के निष्पादन और समापन में देरी हुई और एनएचएआई द्वारा दिनांक 31.07.2021 तक एनएचएआई द्वारा 180 दिन का समय विस्तार (ईओटी) प्रदान किया गया था। इरकॉन वीकेईएल ने कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण आने वाली बाधाओं के बारे में समय-समय पर एनएचएआई को पहले ही सूचित कर दिया है और ईओटी का विवरण, नियत समय में प्रस्तुत किया जाएगा।

कंपनी का मानना है कि वर्ष 2020-21 के लिए, कंपनी के राजस्व और लाभप्रदता के मामले में कंपनी के वित्तीय निष्पादन पर कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रभाव पड़ा है, जिसका प्रभाव वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) प्राप्त करने पर पड़ेगा।

8. निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

निदेशक मंडल:

वर्ष 2020-21 के दौरान पदनाम के साथ निदेशकों की श्रेणी और नाम

कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार, कंपनी के बोर्ड की नियुक्ति होल्डिंग कंपनी, इरकॉन द्वारा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान, कंपनी के प्रबंधन का नेतृत्व निम्नलिखित गैर-कार्यपालक (नामित) निदेशकों द्वारा किया जाता है:

श्रेणी, नाम और पदनाम	डीआईएन	नियुक्ति या कार्यमुक्ति (वर्ष के दौरान, यदि कोई हो)
श्री श्याम लाल गुप्ता, अध्यक्ष	07598920	-
श्री अशोक कुमार गोयल, निदेशक	05308809	-
श्री सुरजीत दत्ता, निदेशक	06687032	-
श्री राजेन्द्र सिंह यादव, निदेशक	07752915	13.10.2020 से निदेशक के पद से कार्यमुक्त हुए
श्री राज कुमार, निदेशक	09075791	22.02.2021 को निदेशक के रूप में नियुक्त हुए और 02.08.2021 को निदेशक के पद से कार्यमुक्त हुए

वर्ष की समाप्ति के बाद, होल्डिंग कंपनी ने 13 मई, 2021 से श्री श्याम लाल गुप्ता के स्थान पर श्री योगेश कुमार मिश्रा [डीआईएन: 07654014], निदेशक (कार्य), इरकॉन को अध्यक्ष के रूप में नामित किया है; और सुश्री रितु अरोड़ा [डीआईएन: 00002455], कंपनी सचिव, इरकॉन को आपकी कंपनी की महिला निदेशक के रूप में नामित किया है। इसके अतिरिक्त, श्री मसूद अहमद [डीआईएन: 09008553], मुख्य महाप्रबंधक (सिविल/राजमार्ग) श्री राजकुमार के स्थान पर को दिनांक 02 अगस्त, 2021 से निदेशक के रूप में नामित किया गया है। श्री योगेश कुमार मिश्रा, सुश्री रितु अरोड़ा और श्री मसूद अहमद नजर को अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और आगामी तीसरी एजीएम में निदेशकों के पद में नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव है। इसे आगामी एजीएम के नोटिस में शामिल किया गया है।

बोर्ड ने कंपनी के निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री श्याम लाल गुप्ता और श्री राजेंद्र सिंह यादव द्वारा दिए गए उनके बहुमूल्य योगदान और मार्गदर्शन और समर्थन के लिए सराहना की।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और कंपनी सचिव (सीएस) को कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में नामित किया है।

कंपनी के मुख्य कार्मिक	नियुक्ति की तिथि	पदनाम
श्री नितेश कुमार जी. असती	22.12.2020	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री राज कुमार	20.11.2018	मुख्य वित्त अधिकारी
सुश्री रिची महाजन	04.04.2019	कंपनी सचिव

वर्ष के दौरान, श्री नितेश कुमार जी. असती को श्री मानवेंद्र कुमार सिंह के स्थान पर दिनांक 22.12.2020 से कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।

9. बोर्ड की बैठकें:

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, बोर्ड की दिनांक 18.05.2020, 24.06.2020, 19.08.2020, 09.11.2020, 30.12.2020, 09.02.2021 को छह (6) बैठकें हुईं। बोर्ड की बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था। बोर्ड की बैठकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

बैठक की तारीख	बोर्ड सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
18.05.2020	4	4
24.06.2020	4	4
19.08.2020	4	4
09.11.2020	3	3
30.12.2020	3	3
09.02.2021	3	2

नीचे दी गई तालिका वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों में बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति और पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उनकी उपस्थिति को दर्शाती है:

नाम के निदेशक	बैठक की तारीख						25.09.2020 को आयोजित पिछली बैठक में उपस्थित	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठक	उपस्थित बैठकों की संख्या	उपस्थिति %
	18.05.2020	24.06.2020	19.08.2020	09.11.2020	30.12.2020	09.02.2021				
श्री श्याम लाल गुप्ता	✓	✓	✓	✓	✓	✓	हां	**6**	**6**	**100**
श्री अशोक कुमार गोयल	✓	✓	✓	✓	✓	✓	**हां**	**6**	**6**	**100**
श्री राजेन्द्र सिंह यादव (31.10.2020 तक)	✓	✓	✓	-	-	-	**हां**	**3**	**3**	**100**
श्री सुरजीत दत्ता	✓	✓	✓	✓	✓	**L**	**हां**	**6**	**5**	**83.33**
श्री राज कुमार	-	-	-	-	-	-	नहीं	-	-	-

10. स्वतंत्र निदेशक और बोर्ड समितियां और डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देश:

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी दिनांक 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 में संशोधन, एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी और एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण इसके बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता और बोर्ड

समितियों यथा लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) के गठन की आवश्यकता से छूट दी गई है।

तदनुसार, इरकॉनवीकेईएल, एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी और इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, को अपने बोर्ड में किसी भी स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है और स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा कंपनी पर लागू नहीं होती है।

इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिनांक 8-10 जुलाई 2014 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित 11 जुलाई, 2019 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में गठित सीपीएसई को कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी गई है। इसलिए, डीपीई के निगमित शासान निदेशकों इरकॉन वीकेईएल पर लागू नहीं हैं।

11. निदेशक के उत्तरदायित्व का विवरण:

कंपनी कानिदेशक मंडल पुष्टि करता है कि:

क) दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि हेतु वार्षिक लेखे तैयार करने में सामग्री विचलनों, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है।

ख) ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया और निरंतर लागू किया गया है और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे, जो तर्कसंगत और विवकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी की कार्य स्थिति तथा उक्त तिथि को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही एवं वास्तविक स्थिति प्रस्तुत हो सके।

ग) परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छल-कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए इस कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

घ) वार्षिक लेखा विवरण ''निरंतर'' आधार पर तैयार किए गए हैं।

छ) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गई है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

12. वार्षिक रिटर्न का सार:

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 की नियम-12 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा-93(3) के अनुसार, फॉर्म एमजीटी-9 में वार्षिक रिटर्न का सार इस रिपोर्ट का भाग है जो **अनुबंध-क** के रूप में संलग्न है।

13. निदेशक का अवलोकन और वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी (उनकी रिपोर्ट में लेखापरीक्षकों द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण:

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में खातों का विवरण स्व-व्याख्यात्मक है तथा इसे और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, जिसके लिए किसी भी तरह के स्पष्टीकरण/ पुष्टि की आवश्यकता होती है।

14. लेखापरीक्षक:

सांविधिक लेखापरीक्षक:

मैसर्स एन सी राज एंड एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सीएजी के दिनांक 18.08.2020 के पत्र सं.सीए/वी/सीओवाई/ केन्द्रीय सरकार/आईवीकेईएल (I)489 के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-139(1) के तहत लिखित सहमति और प्रमाण पत्र के माध्यम से पुष्टि की है।

लागत लेखापरीक्षक:

निदेशक मंडल ने लागू नियमों / मार्गदर्शन नोट, इत्यादि के अनुसार कंपनी के लागत रिकार्डों की लेखापरीक्षा के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स आर.एम.बंसल एंड कंपनी, लागत लेखाकार को नियुक्त किया है।

कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 148(1) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने लागत खाते और रिकॉर्ड बनाए हैं।

सचिवीय लेखापरीक्षक:

मैसर्स वरिष्ठ एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा का संचालन करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया गया था।

मैसर्स वशिष्ठ एंड एसोसिएट्स ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा आयोजित की है और कंपनी को अपनी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है; टिप्पणियों और प्रबंधन के उत्तर इस प्रकार हैं:

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में निहित टिप्पणियां	**प्रबंधन का उत्तर**
कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 के	इरकॉनवीकेईएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इरकॉन वीकेईएल के संगम

साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के तहत कंपनी ने महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है।	अनुच्छेद के अनुच्छेद-54 के अनुसार, इरकॉन के पास कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति है। कंपनी के बोर्ड में महिला निदेशक की नियुक्ति का अनुरोध इरकॉन को पहले ही किया जा चुका है। इस संबंध में अनुपालन दिनांक 13.05.2021 से प्रभावी हो गया है क्योंकि इरकॉन ने इरकॉन वीकेईएल के बोर्ड में एक महिला निदेशक को नियुक्त किया है।

आतंरिक लेखापरीक्षक:

निदेशक मंडल ने मैसर्स बंसल सिन्हा एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में को नियुक्त किया है।

15. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत शामिल किए गए ऋण, गारंटी और निवेश का कोई लेनदेन नहीं है।

16. सीईओ और सीएफओ द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र:

सीईओ और सीएफओ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुपालन प्रमाणपत्र दिनांक 15.06.2021 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक के समक्ष रखा गया था और इसे **अनुबंध-ख** के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

17. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था के विवरण:

वर्ष के दौरान, होल्डिंग कंपनी, इरकॉन के साथ संबंधित पक्ष लेनदेन, व्यापार के सामान्य क्रम में और आर्म लैंथ आधार पर थे और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अनुमोदित थे। फॉर्म एओसी-2 में संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण इस रिपोर्ट के अनुबंध-ग के रूप में संलग्न है।

18. वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं:

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच के अंतराल में नहीं हुए थे, केवल निम्नलिखित को छोड़कर:

(i) कंपनी ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा लाए गए कैपेक्स की प्रतिपूर्ति और परियोजना के निष्पादन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) से दिनांक 19.07.2021 को ₹72412 लाख रूपए का सावधि ऋण प्राप्त किया है।

(ii) कंपनी ने इरकॉन को ₹58950 लाख रूपए का संपूर्ण बकाया ऋण चुका दिया है।

(iii) इरकॉन द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के पक्ष में एनएचएआई से पहली वार्षिकी (सीओडी से 180 दिन) प्राप्त होने तक कॉर्पोरेट गारंटी जारी की गई है।

(iv) बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ सावधि ऋण के पुनर्वित्त के संबंध में इरकॉन द्वारा शपत भी जारी की गई है।

बैंक सुविधाओं के लिए क्रेडिट रेटिंग आयोजित की गई जिसमें कंपनी ने केयर एए (सीई): केयर रेटिंग्स लिमिटेड से स्थिर टिप्पणी प्राप्त की है।

19. ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन और आउटगो:

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के तहत निर्धारित विवरण निम्नानुसार है:

क. ऊर्जा का संरक्षण: -

आपकी कंपनी किसी भी निर्माण गतिविधि में संलिप्त नहीं है और इसलिए कंपनी के विवरण का प्रस्तुतिकरण हमारी कंपनी पर लागू नहीं होता है।

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण: -

आपकी कंपनी किसी भी निर्माण गतिविधि का निष्पादन नहीं कर रही है और इसलिए कंपनी के लिए विशेष रूप से प्रस्तुत करना लागू नहीं है।

ग. विदेशी मुद्रा आय और आउटगो: -

वर्ष 2020-21 के दौरान कोई विदेशी मुद्रा आय और विदेशी मुद्रा आउटगो नहीं था।

20. जोखिम प्रबंधन:

बोर्ड की मतानुसार, वर्तमान में कंपनी अपने व्यवसाय के लिए किसी भी बड़े खतरे/जोखिम को नहीं देखती है।

21. निगमित सामाजिक उत्तरदायितव:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-135 के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति के गठन की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं है।

22. कर्मचारियों के विवरण:

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों और अध्याय XIII के तहत संबंधित नियमों के अनुपालन से छूट दी गई है।

इरकॉनवीकेईएल एक सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी के लिए निदेशकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में कंपनी के नियम 5(2) (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) के तहत निर्धारित मानदंडों के तहत आने वाले कर्मचारियों के पारिश्रमिक के बारे में जानकारी का प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं है।

23. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

24. सार्वजनिक जमा राशि:

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनियां (जमा राशि की स्वीकृति) नियम, 2014 के अनुसार अपने सदस्यों से किसी भी जमा राशि को आमंत्रित नहीं किया है।

25. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्त प्रणाली विद्यमान है। सभी लेन-देन उचित रूप से अधिकृत रूप से रिकॉर्ड किए गए हैं और प्रबंधन को रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए है। कंपनी वित्तीय विवरणों में लेखा बहियों और रिपोर्टिंग को ठीक से बनाए रखने के लिए सभी लागू लेखा मानकों का पालन कर रही है। आपकी कंपनी अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप उचित और पर्याप्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना जारी रखती है।

26. कंपनी के गोइंग कंसर्न स्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले, विनियामकों न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेश

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के गोइंग कंसर्न स्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले, विनियामकों, न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण जारी नहीं किए गए हैं।

27. **खरीद वरीयता नीति के क्रियान्वयन के लिए एमएसएमई दिशानिर्देशों का अनुपालन**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत सभी कंपनियां, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ रूपए से अधिक है और सभी सीपीएसई भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार स्थापित ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लेटफॉर्म पर खुद को ऑन-बोर्ड करने की आवश्यकता है। प्रत्येक राज्य में कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ऐसे निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार सीपीएसई द्वारा ऐसे निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। उपरोक्त निर्देश के अनुपालन के अंतर्गत कंपनी दिनांक 13.12.2019 से टीआरईडीएस में शामिल हो गई है ताकि एमएसई के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण की सुविधा के लिए उनकी प्राप्तियों की छूट और नियत तारीख से पहले उनके भुगतान की वसूली को सुलभ बनाया जा सके।

28. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रकटन:

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा-22 के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान, ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जहां यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज की गई।

कंपनी इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण, इरकॉन (पीओएसएच नीति) की 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए नीति' कंपनी पर लागू होती है और इरकॉन की आंतरिक शिकायत समिति पीओएसएच नीति के तहत सभी मामलों का निपटान करती है।

29. सतर्कता तंत्र:

कंपनी ने अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, या संहिता के उल्लंघन के संबंध में रिपोर्ट करने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। इस तंत्र में, इसका लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपायों का भी प्रावधान है।

इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण, इरकॉन से नामित और प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के लिए, इरकॉन की व्हिसल ब्लोअर नीति लागू होती है, जो वेबसाइट https://www.ircon.org/images/file/cosecy/Whistle-Blower-Policy.pdf पर उपलब्ध है।

कंपनी में अन्य कार्यरत कर्मचारियों के लिए सतर्कता तंत्र के तहत शिकायत/रिपोर्टिंग हेतु निम्नलिखित संबोधन करें:

श्री अशोक कुमार गोयल,
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनवीकेईएल)
पता: इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड,
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली- 110017
फोन नंबर: +91 9560595019
ईमेल आईडी: ak.goyal@ircon.org

30. सूचना का अधिकार:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आपकी कंपनी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

31. बोर्ड के सदस्यों का निष्पादन मूल्यांकन:

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिनांक 5 जून 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों से छूट प्रदान की है, जो अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि धारा 134(3)(पी) के अंतर्गत बोर्ड के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन पर विवरण प्रस्तुत करने का प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगा, यदि निदेशकों का मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा किया जाता है जो कंपनी के मूल्यांकन पद्धति के अनुसार प्रशासनिक रूप से प्रभारी है।

इसके अतिरिक्त, एमसीए द्वारा जारी उपर्युक्त परिपत्र के तहत भी नियुक्ति, प्रदर्शन मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में खंड 178 की उप-धारा (2), (3) और (4) के प्रावधान सरकारी कंपनियों के निदेशकों पर लागू नहीं होगा।

एक सरकारी कंपनी और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते, सभी अंशकालिक निदेशकों को होल्डिंग कंपनी, इरकॉन द्वारा नामित किया जाता है। इन मनोनीत निदेशकों का मूल्यांकन भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूर्व-निर्धारित मानदंडों के अनुसार होल्डिंग कंपनी द्वारा किया जाता है।

32. सचिवीय मानक

वर्ष के दौरान, कंपनी, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों के अनुपालन में है।

33. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट:

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम-9 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के तहत आवश्यक प्रपत्र एमआर-3 में सचिवीय लेखापरीक्षक से "सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट" के **अनुबंध-घ** के रूप में प्रस्तुत है।

34. सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक टिप्पणियाँ

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शून्य अवलोकन के साथ वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में अलग से संलग्न हैं, साथ ही वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां भी संलग्न हैं।

35. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत लंबित आवेदन/कार्रवाई

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कंपनी के प्रति कोई कार्रवाई आरंभ /लंबित नहीं है, जो कंपनी के व्यवसाय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।

36. समझौता ज्ञापन (एमओयू):

सार्वजनिक उद्यम विभाग ने आपकी कंपनी को डीपीई एमओयू दिशानिर्देशों के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इरकॉन (होल्डिंग कंपनी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट दी है।

37. आभारोक्ति:

हम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, लेखापरीक्षकों और हमारे मूल्यवान ग्राहक - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं, और भविष्य में उनके निरंतर समर्थन की आशा करते हैं।

हम अपने ठेकेदारों, उप-ठेकेदारों, बैंकरों को वर्ष के दौरान उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सभी स्तरों पर अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए योगदान के लिए उनकी सराहना भी करते हैं। उनकी कड़ी मेहनत, एकजुटता, सहयोग और समर्थन से ही हमारा निरंतर विकास संभव हुआ है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उसकी ओर से
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनवीकेईएल)
ह/-
योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
डीआईएन: 07654014

दिनांक: 10.08.2021
स्थान: नई दिल्ली

एमजीटी 9

अनुबंध- ख

फॉर्म सं.एमजीटी 9

वार्षिक रिटर्न का सार

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेत

[कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 92(3) तथा कंपनी (प्रशासन और प्रबंधन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में**]**

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरा:

1.	सीआईएन	**U74999DL2018GOI334028**
2.	पंजीकरण तिथि	**16 मई 2018**
3.	कंपनी का नाम	**इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड**
4.	कंपनी की श्रेणी/उपश्रेणी	**शेयरों द्वारा कंपनी लिमिटेड/केन्द्रीय सरकार की कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)**
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता व संपर्क ब्यौरा	**पता: सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली -110017** **दूरभाष: 011-26545787** **ई-मेल आईडी : csirconvkel@gmail**
6.	कंपनी सूचीबद्ध है या गैर-सूचीबद्ध	**नहीं**
7.	रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम तथा संपर्क ब्यौरा	**लागू नहीं**

II. कंपनी की प्रधान व्यवसायिक गतिविधियां: (कंपनी की सभी व्यवसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है जो कंपनी के कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हैं।)

क्र.सं	**मुख्य उत्पाद व सेवा का नाम**	**उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड**	**कंपनी के कुल टर्नओवर का %**
1.	वडोदरा किम एक्सप्रेसवे (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का सनपा से पेट्रा खंड) निर्माण के रूप में सेवाएं प्रदान करना : निर्माण सेवाएं: राजमार्ग (एक्सप्रेसवे) परियोजना (ईपीसी ठेकेदार के माध्यम से)	42101	100

III. धारक, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों का विवरण :

क्र.सं	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक/ संबद्ध कंपनियों	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू अनुच्छेद
1.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	एल45203डीएल1976जीओआई008171	धारक कंपनी	100%*	अनुच्छेद 2(46)

** 100% शेयर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा इसके 07 नामितियों के पास हैं ।*

IV. शेयर धारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

I) श्रेणीवार शेयर धारिता:

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [01 अप्रैल 2020 को]				वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [31 मार्च 2021 को]				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयर %	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/ एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) राज्य सरकार(सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निकाय निगम#	शून्य	10000000	10000000	100%	शून्य	10000000	10000000	100%	100%
ड.) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रमोटरों की कुल शेयरधारिता (क)	**शून्य**	**10000000**	**10000000**	**100%**	**शून्य**	**10000000**	**10000000**	**100%**	**100%**
ख. जन शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्युचवल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार (सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड.) उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (बताएं)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (ख)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-संस्थागत									
क) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) 1 लाख रूपए तक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) 1 लाख रूपए से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अप्रवासी भारतीय विदेशी निगमित निकाय	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
विदेशी राष्ट्रीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्लियरिंग सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ट्रस्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी निकाय-डीआर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपकुल(ख)(2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+ (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ग. जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योग (क+ख+ग)	**शून्य**	**10000000**	**10000000**	**100%**	**शून्य**	**10000000**	**10000000**	**100%**	**100%**

 # निकाय निगम: 100% शेयरधारिता निगमित निकाय - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके 07 नामितियों के पास है।

II) प्रमोटरों की शेयरधारिता:

क्र.सं	**शेयरधारक का नाम**	**वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [01 अप्रैल 2020 को]**			**वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [31 मार्च 2021 को]**			**वर्ष के दौरान शेयरधारिता % में परिवर्तन**
		शेयरों की संख्या	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**कुल शेयरों में प्रतिभूति/ऋणयुक्त शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**कुल शेयरों में प्रतिभूति/ ऋणयुक्त शेयरों का %**	
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड**$**	**10000000**	**100%**	शून्य	**10000000**	**100%**	शून्य	**100%**
	कुल	**10000000**	**100%**	शून्य	**10000000**	**100%**	शून्य	**100%**

** **प्रमोटरों की शेयरधारिता:** कंपनी प्रत्येक 10 रूपए के 10,000,000 इक्विटी शेयरों के साथ कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है अर्थात सम्पूर्ण शेयरधारिता भारतीय प्रमोटरों के पास है। अन्य 07 शेयरधारक इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड हेतु और की ओर से शेयरों को धारित कर रहे हैं।*

** इरकॉन की ओर से नामित शेयरधारक श्री राजेंद्र सिंह यादव द्वारा धारित 100 शेयर उनकी सेवानिवृत्ति के बाद इरकॉन को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।*

III) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन :

क्र.सं	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के आरंभ में	शून्य			
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
3.	वर्ष के अंत में				

IV) दस शीर्ष शेयरधारों की शेयरधारिता पैटर्न :

(निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों से इतर):

क्र. सं	प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों हेतु	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	**वर्ष के आरंभ में**	**लागू नहीं।**			
1.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
क)	वर्ष के अंत में				

V.) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

प्रत्येक निदेशक (निदेशकों) और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता	**31 मार्च 2020 को वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता**		**वर्ष के आरंभ में 31 मार्च 2021 के दौरान संचयी शेयरधारिता**	
	शेयरों की संख्या	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
वर्ष के आरंभ में	**शून्य**			
वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण /बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
वर्ष के अंत में				

**"इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की ओर से" कंपनी के निदेशकों यथा श्री योगेश कुमार मिश्रा, श्री अशोक कुमार गोयल द्वारा प्रति 10 रूपए के 100 इक्विटी शेयर धारित हैं।*

VI) ऋणग्रस्तता - कंपनी की ऋणग्रस्तता में बकाया/संचित किन्तु भुगतान के अदेय ब्याज शामिल है।

विवरण	**जमा राशियों सहित रक्षित ऋण**	**अरक्षित ऋण**	**जमा राशियां**	**कुल ऋणग्रस्तता**
वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	-	18,100		
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज				
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज				
कुल (i+ii+iii)				
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				

* संवर्धन		40,850		
* आवर्धन				
निवल परिवर्तन				
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
i) मूल राशि		58,950		
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज				
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज				
कुल (i+ii+iii)		58,950		

VII. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक -

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशकों तथा/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:

क्र.सं	**परिश्रमिक का विवरण @**	**एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम**	**कुल राशि**
1.	सकल वेतन		
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन		
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य		
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ		
2.	स्टॉक ऑप्शन		
3.	स्वीट क्विटी		
4.	कमिशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, बताएं...	लागू नहीं	
5.	अन्य, कृपया बताएं		
	कुल (क) $		
	अधिनियम के अनुसार सीमा	**लागू नहीं**	

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण @	निदेशकों का नाम	कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक		
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क		
	कमिशन		
	अन्य, कृपया बताएं		
	कुल (1)		
2	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक		
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क		
	कमिशन		
	अन्य, कृपया बताएं		
	कुल (2)		
	कुल (ख)=(1+2) $		
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक		
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीलिंग		

@ वित्तीय वर्ष 2020-21 में कंपनी में सभी अंशकालीन निदेशक हैं, जिन्हें धारक कंपनी द्वारा बोर्ड में नामित किया गया है। अंशकालीन निदेशकों को किसी बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

घ. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (प्रबंध निदेशक /प्रबंधक /डब्ल्येटीडी) का पारिश्रमिक:

क्र.सं	परिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकी कार्मिक				
		श्री एम के सिंह, सीईओ (22.12.2020 तक)	**श्री नितेश कुमार जी.असती (22.12.2020 तक)**	**श्री राज कुमार**	**सुश्री रिची महाजन, सीएस**	**कुल**
	सकल वेतन	8.02	5.67	16.24	4.80	34.73
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	-	-	-	-
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के	-	-	-	-	-

	अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य					
2	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-	-
3	स्वीट इक्विटी	-	-	-	-	-
4	कमिशन	-	-	-	-	-
	- लाभ के % के रूप में					
	- अन्य, बताएं...	-	-	-	-	-
5	अन्य, कृपया बताएं	0.03	-	-	-	0.03
	- निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन (पीआरपी)	-	-	-	-	-
	-चिकित्सा लाभ (सेवानिवृत्ति पश्चात)	5.42	1.80	4.76	-	11.98
	- सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन, भविष्य निधि)	2.82	0.94	2.30	0.61	6.67
	कुल	**16.29**	**8.41**	**23.3**	**5.41**	**53.41**

VII. जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृति:

प्रकार	**कंपनी अधिनियम का अनुच्छेद**	**संक्षिप्त विवरण**	**जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृति का ब्यौरा**	**प्राधिकार [आरडी / एनसीएलटी /न्यायालय]**	**की गई अपील, यदि कोई है(ब्यौरा दें)**
क. कंपनी					
जुर्माना					
दंड					
कंपाउंडिंग	179(3) के साथ पठित 117	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति से संबंधित प्रपत्र एमजीटी-14	0.20	एमसीए	लागू नहीं

ख. निदेशक	
जुर्माना	
दंड	
कंपाउंडिंग	
ग. चूककर्ता अन्य अधिकारी	
जुर्माना	**शून्य***
दंड	
कंपाउंडिंग	

निदेशक मंडल के निमित्त और उसकी ओर से
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनवीकेईएल)

ह/-
योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
डीआईएन: 07654014

दिनांक: 10.08.2021
स्थान: नई दिल्ली

अनुबंध-ख

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) तथा मुख्य वित्त अधिकारी प्रमाणन

हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय विवरणों सहित तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण इक्विटी परिवर्तन विवरण की समीक्षा की है:-

(i) इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक विवरण को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं हैं।

(ii) ये विवरण समग्र रूप में कंपनी के कार्य का वास्तविक व सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुपालन के अनुरूप हैं।

(iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है, जैसा कि कंपनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अनुसरण किए जाने की सहमति हुई है।

(iv) हम आतंरिक नियंत्रण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कंपनी में एक कुशल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार की है। हमने आंतरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के संबंध में लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।

(v) हमने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है, और

(vi) हमारी जानकारी में धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया है और ना ही कंपनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी के बार में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

(vii) हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी के व्यवसाय और मामलों के संबंधित में दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 की अवधि के दौरान केंद्रीय, राज्य और अन्य वैधानिक और स्थानीय प्राधिकरणों सभी लागू कानून, अधिनियम, आदेश, नियम, विनियम और अन्य वैधानिक

आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है और नियत तारीखों पर सभी लागू वैधानिक देय राशि का भुगतान किया गया है।

	ह/	**ह/**
	श्री नितेश कुमार असती	**श्री राज कुमार**
दि	**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**	**प्रमुख वित्त अधिकारी**

दिनांक: 15.06.2021

स्थान: नई दिल्ली

अनुबंध-ग

अधिनियम के अनुच्छेद 134 के उप-अनुच्छेद (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम,2013 के अनुच्छेद 188 के उप-अनुच्छेद (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं तथा इसके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्मस लैंथ संव्यवहारों के विवरण के प्रकटन के लिए फार्म

(वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु)

****

1. आर्म लैंथ आधार पर न की गई संविदाएं या व्यवस्थाएं या संव्यवहार का ब्यौरा : शून्य
2. आर्म लैंथ आधार पर महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं या संविदाओं का ब्यौरा : निम्नानुसार:

क्र.सं.	**संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति**	**संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की अवधि**	**मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा/व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की प्रमुख शर्तें**	**बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (तिथियां), यदि कोई हो:**	**अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो**
1	**ईपीसी करार** (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को गंजरात राज्य में किमी 323.00 से किमी 355.00 तक (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के सनपा से पादरा खंड तक) वडोदरा किम एक्सप्रेसवे को आठ लेन का बनाने हेतु विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन के लिए ईपीसी के रूप में नियुक्त करने हेतु।	नियत तिथि से 730 दिन और तत्पश्चात एनएचएआई द्वारा विस्तारित अनुसार	दिनांक 09.11.2018, और दिनांक 29.07.2021 व 18.12.2019 के शुद्विपत्र यह संविदा इरकॉन को 12 प्रतिशत की जीएसटी दर सहित 1543.06 करोड़ रूपए मूल्य हेतु अवार्ड की गई है।	-	शून्य (आज की तिथि को)

2.	**पट्टा करार** (कार्यालय परिसर के प्रयोग हेतु किराया)	तीन वर्ष (17.5.2018 से 16.05.2021)*	पट्टा करार दिनांक 09 अगस्त 2018 को 19,305/- रूपए प्रतिमाह जमा जीएसटी की दर से निष्पादित किया गया है।	-	शून्य (आज की तिथि को)

**प्रति माह 21236 रूपए की दर से दिनांक 17.05.2021 से 31.03.2023तक इरकॉन के साथ पट्टा करार का नवीकरण किया गया है।*

निदेशक मंडल के निमित्त और उसकी ओर से
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनवीकेईएल)

ह/-
योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
डीआईएन: 07654014

दिनांक: 10.08.2021
स्थान: नई दिल्ली

अनुबंध-घ

फार्म सं. एमआर-3

वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में)

सेवामें,

सदस्य,

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड,

सीआईएन: U74999DL2018GOI334028

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,

नई दिल्ली-110017, भारत

मैं, शोभित वरिष्ठ, प्रोप्राइटर, वरिष्ठ एंड एसोसिएट्स, ने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और **इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड,** (जिसे यहां आगे ''कंपनी'' कहा जाएगा) द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी, जिससे हमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आधार मिला है।

कंपनी की बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, मैने एतद्द्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रकियाएं भी हैं और उस स्तर तक तथा उस रुप में अनुपालन तंत्र विद्यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिंग के मद्देनजर हैः

मैने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड द्वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की हैः

1. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमः
2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और इसके तहत बनाए गए नियम; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**
3. डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत निर्मित विनियम और उपनियम; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**
4. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम; **(उक्त अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है)**
5. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं:

   (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

   (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

   (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

   (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करनाऔर प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

   (ड.) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

   (च.) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का इश्यु और सूचीकरण) विनियम, 2008; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

   (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू और शेयर अंतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम

1993 जो कंपनी अधिनियम और कंपनी के साथ संव्यवहार से संबंधित है; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीकरण) विनियम, 2009; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 2018; **(कंपनी पर लागू नहीं है)।**

(vi) हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि कंपनी में विद्यमान अनुपालन प्रणाली के संबंध में, कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की जांच पर, कंपनी ने उसपर लागू निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया है:

क. भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (नियोजना के विनियम और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1998;

ख. भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996;

ग. पर्यावरण कानून, जो लागू हों;

घ. समीक्षाधीन अवधि के लिए श्रम कानूनों जैसे भविष्य निधि, ईएसआई/ईपीएफ, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम आदि सहित अन्य लागू कानून।

मैंने निम्नलिखित के लागू प्रावधानों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक;

(ii) सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 14 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 18(8)/2005-जीएम के तहत जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश; (हालांकि, यह ज्ञात है कि चूंकि कंपनी को विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में गठित किया गया है, इसलिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने और सार्वजनिक उद्यम विभाग(ओपीई) द्वारा अपने दिनांक 11 जुलाई, 2019 और 8 जुलाई, 2014 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अन्य अनुपालन से छूट प्राप्त है)।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, मानकों और दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, केवल नीचे उल्लिखित स्तर तक;

कंपनी {निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता} नियम, 2014 के नियम-3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1} के तहत कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है।

नोट: कंपनी ने वितीय वर्ष 2019-20 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति के लिए ई-फॉर्म एमजीटी-14 दायर नहीं किया है। हालाँकि, आज की तारीख में, कंपनी द्वारा इस तरह की त्रुटि को ठीक कर दिया गया है क्योंकि कंपनी ने ई-फॉर्म सीजी-1 को भेजकर देरी के लिए केंद्रीय सरकार को एक आवेदन किया है और सीजी से प्राप्त आदेश की प्रति आरओसी को भी दायर की है।

मैं आगे उल्लेख करता हूं कि:

महिला निदेशक की नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-149 के तहत उपरोक्त अनुपालन के अधीन, कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है। हालांकि, एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण, कंपनी के निदेशक मंडल की नियुक्ति कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार होल्डिंग कंपनी (''इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड') द्वारा की जाती है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन, अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों, कार्यसूची का निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया जाता है और कार्यसूची पर विस्तृत नोट सभी निदेशकों काफी पहले भेजे गए थे, और कार्यसूची पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रणाली मौजूद है। बोर्ड बैठक में सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए गए थे, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा कहा गया था। असहमति वाले सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के भाग के रूप में शामिल करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ऐसा कोई उद्धरण नहीं था।

हमें दिए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदनों और उस पर हमारे उत्तरों के अनुसार कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली और प्रक्रियाएं उपस्थित हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, जैसा कि प्रबंधन द्वारा स्पष्ट और प्रस्तुत किया गया है,

उपरोक्त उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कोई विशेष घटना/कार्य नहीं हुए हैं, जिन्होंने कंपनी के मामलों पर कोई व्यापक प्रभाव प्रस्तुत किया है।

कृते वशिष्ठ एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
ह/-
सीएस शोभित वशिष्ठ
यूडीआईएन: - A045412C000426727
पीर समीक्षा संख्या: 844/2020
सदस्यता सं.: 45412
सी.पी सं.: 21476

दिनांक: 07 जुन, 2021
स्थान : नई दिल्ली

नोट: इस रिपोर्ट को समतिथि पत्र के साथ पढ़ा जाए जो अनुबंध-घ1 के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

अनुबंध-घ1

सेवामें,

सदस्य,

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड,

सीआईएन: U74999DL2018GOI334028

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017, भारत

हमारी समतिथिक रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाएः

सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्ति करना है।

हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रकियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। हमारा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रकियाएं, हमारे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।

हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों, लागत रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

निगमित तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रकियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता हेतु आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते वशिष्ठ एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-
सीएस शोभित वशिष्ठ
यूडीआईएन: - A045412C000426694
पीर समीक्षा संख्या: 844/2020
सदस्यता सं.: 45412
सी.पी सं.: 21476

दिनांक: 07 जून 2021
स्थान : नई दिल्ली

<u>इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के सांविधिक लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट</u>

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्य
इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोट

मत

हमने इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के 31 मार्च 2021 को तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण (वृहत आय सहित), इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण और उक्त समाप्त वर्ष के लिए तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना के सार की लेखापरीक्षा की है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण इस अधिनियम के अंतर्गत यथापेक्षित और दिनांक 31 मार्च 2021 को कंपनी की कार्यप्रणाली की भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुरूप दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए के लिए इक्विटी परिवर्तन और रोकड़ प्रवाह विवरण का सही और उचित रूप प्रस्तुत किया गया है।

मद का आधार

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड के लेखापरीक्षक के उत्तरदायितव में उल्लिखित है। हम कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रति संगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के अनुसार कंपनी स्वतंत्र हैं और हम हमने नैतिक संहिता और इन अपेक्षाओं के अनुसार अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय के दौरान, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में समग्र रूप से समाधान किया गया है, और हम इन मुद्दें पर पृथक मद उपलब्ध नहीं कराते हैं।

हमने निर्धारित किया है कि हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित करने हेतु कोई प्रमुख लेखापरीक्षा विषय नहीं है।

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारितों का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो जारी संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, लाभ और हानि (अन्य वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह और इक्विटी परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 134 (5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करना है और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन गोइंग कंसर्न, प्रकटन, यथा अपेक्षित, गोइंग कंसर्न संबंधी मुद्दोंऔर लेखांकन के गोंइंग कंसर्न के प्रयोग के साथ जारी रहने की कंपनी की क्षमता का आंकलन करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते प्रबंधन या तो कंपनी को लिक्विडेट करना चाहती है या प्रचालन बंद करना चाहती है, या उसा करने के अतिरिक्त उसके पास को वास्तविक विकल्प है।

ये निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से सामग्रीगत तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि से मुक्त हैं। युक्तिसंगत आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन नीति के अनुसार किया गया लेखपरीक्षा सदैव तथ्यात्मक दुर्विवरण को खोज लेता है, जब वह विद्यमान हो। जालसाजी या त्रुटि से उत्पन्न होने वाले दुर्विवरण को तब महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि एकल रूप में या समग्र रूप में वे युक्तिसंगत स्तर पर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हों।

लेखांकन मानक के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और बिना लेखापरीक्षा के पेशेवर व्यवहार को बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित व्यवस्थाओं का भी अनुसरण करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, कि क्या वे जालसाजी या त्रुटि या अभिकल्प के कारण है और लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं इन जोखिमों के प्रति प्रकियात्मक रूप से सक्रीय हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे मत के लिए आधार प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं। जालसाजी के परिणामस्वरूप तथ्यात्मक दुर्विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, पुनर्विनियोजन या आंतरिक नियंत्रण से बचने वाली जालसाजियों के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक महत्वपूर्ण है।

- उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के उद्देश्य से लेखापरीक्षा के प्रति संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ को प्राप्त करना, जो उक्त परिस्थितियों में उपयुक्त है। कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(3)(i) के अंतर्गत, हम अपने इस मत को भी अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास उपयुक्त आंतरिक वित्तीय निंयत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रणों के लिए कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा किए गए प्रकटनों के संबंध में लेखांकन अनुमानों और प्रकटनों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के संबंधित आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाना कि घटनाओं और परिस्थितियों के संबंध में तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है, जो गोइंग कंसर्न के रूप में निरंतर कार्यरत रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण शंका उत्पन्न करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि तत्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमें उन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारे मत को आशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं और स्थितियां कंपनी के गोइंग कंसर्न के रूप में निरंतरता को बंद कर सकती है।
- प्रकटन सहित वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन, और अवलोकन कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय, तथा महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम ये भी उल्लेख करते हैं कि स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ, समेकित की गई विवरण के शासन को प्रभारित करने और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को सम्प्रेषित करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता के संबंध में युक्तिसंगत हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय को प्रभारित करते हैं।

शासन के साथ आरोप लगाए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे और इसलिए वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण का प्रस्ताव नहीं देता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों का यथोचित परिणाम अपेक्षित होगा।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 के उप अनुच्छेद (11) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा यथापेक्षित, उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण अनुग्नक-क के रूप में दे रहे हैं।
2. अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) द्वारा यथापेक्षित हम उल्लेख करते हैं कि:

   (क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे व प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

   (ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बही खातों का उचित रखरखाव किया है जैसा बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

   (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और अन्य वृहत आय सहित लाभ-हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी परिवर्तन विवरण, बही खातों से मेल खाते हैं।

(घ) हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुच्छेद-133 के नियम-7 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ड.) कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और इस संबंध में **"अनुबंध-ख"** में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

(च) सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिनियम की धारा-164(2) का प्रावधान भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार लागू नहीं है।

(छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के नियम-11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i. कंपनी का कोई मुकदमा लंबित नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहा हो।

ii. डैरिवेटिव संविदाओं सहित कंपनी का कोई दीर्घकालीन संविदा नहीं है जिसके लिए किसी प्रकार की सामग्रीगत भावी हानियां थीं।

ii. ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता हो।

अधिनियम के अनुच्छेद 143(5) द्वारा अपेक्षित अनुसार और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उप-निदेशकों के अनुसार हम सूचित करते हैं कि:

क्र.सं	विवरण	लेखापरीक्षा का उत्तर
(i)	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया की प्रणाली विद्यमान है? यदि हां तो, वित्तीय परिणामों, यदि कोई हो, सहित लेखों की सत्यनिष्ठ पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखंकन संव्यवहारों की प्रक्रिया को क्रियान्वित किया या है, कृपया स्पष्ट करें।	कंपनी में सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया के लिए टेलीप्रणाली विद्यमान है। कोई भी लेखांकन संव्यवहार आईटी प्रणाली से बाहर नहीं किया जाता है।
(ii)	कृपया बताएं कि क्या वहां ऋण/उधार/ब्याज आदि, यदि कोई हो, में छूट/बट्टा खाता डाले जाने पर कोई प्रतिबंध है। यदि हां तो इसके वित्तीय प्रभाव को स्पष्ट करें।	कंपनी ने अपनी धारक कंपनी यथा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से ऋण लिया है। यहां ऋण/उधार/ ब्याज आदि, यदि कोई हो, में छूट/बट्टा खाता डाले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
(iii)	क्या केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधियां प्राप्त/प्राप्य हैं जिनका उनका उनकी शर्तों और निबंधनों के अनुसार लेखांकन/उपयोग किया गया है? विपथन के मामलों की सूची बताएं।	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान किसी भी विशिष्ट योजनाओं के लिए किसी भी केंद्रीय या राज्य एजेंसियों से कोई धन प्राप्त/प्राप्य नहीं हुआ है।

कृते एन.सी. राज एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 002249N

सीए राहुल गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या 093114
यूडीआईएन - 21093114AAAABF3108

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 15.06.2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के सदस्यों की समसंख्यक तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के पैरा 5(1) के संदर्भ में अनुबंध-क।

1. (क) कम्पनी ने पूर्ण विवरण दर्शाते हुए अभिलेखों का उचित रखरखाव किया है, जिनसे उसकी नियत परिसंपत्तियों का मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति का पता चलता है।

   (ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाता है। सत्यापन का नियमित कार्यक्रम होता है जो हमारे विचार में कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार युक्तिसंगत है। ऐसे सत्यापनों पर किसी प्रकार की विसंगति को नोट नहीं किया गया था।

   (ग) लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी के स्वामित्व में कोई अचल संपत्तियां नहीं है।

2. कंपनी में कोई इन्वेंटरी नहीं है। इसलिए, कंपनी पर उक्त आदेश के प्रावधान लागू नहीं है।

3. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा लेखा बहियों की हमारी जांचों के आधार पर, कंपनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को/से रक्षित या अरक्षित किसी प्रकार का ऋण न लिया है न दिया है। इसलिए, आदेश के पैरा-3 (iii) के अधीन अपेक्षाएँ कम्पनी पर लागू नहीं होती हैं।

4. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे कोई ऋण, निवेश, गारंटियां, तथा प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की गई हैं जिनके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद-185 तथा 186 के प्रावधान का अनुपालन किया गया है। इसलिए यह खंड लागू नहीं है।

5. हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने जनता से कोई जमा राशि नहीं ली है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और कम्पनी अधिनियम की धारा- 73 से 76 या कोई अन्य संगत प्रावधान तथा उनके अधीन बनाए गए नियम यहाँ लागू नहीं होते हैं।

6. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-148(1) के तहत आवश्यक लागत रिकॉर्ड के अनुरक्षण का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

7. क) कम्पनी सामान्यत: उपयुक्त प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, आयकर मूल्यसंवर्धन कर, सेवाकर, उपकर तथा कोई अन्य सांविधिक कर सहित लागू निर्विवाद सांविधिक दये राशियां और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक दये राशियाँ नियमित रूप से जमा कराती हैं। कर्मचारी राज्य बीमा कंपनी पर लागू नहीं है। हमारे समक्ष प्रस्तुत सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार छह महीनों की अवधि के लिए 31.3.2021 की तारीख को कोई अविवादास्पद देय, उनके देय होने की तिथि से देय नहीं है।

   हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार आयकर, बिक्रीकर, संपत्तिकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धन कर और उपकर के संबंध में

कोई अविवादित देय नहीं है, जिन्हें दिनांक 31.03.2021 को विविद के कारण जमा नहीं कराया जा सका।

सांविधि का नाम	विवादित देय रशियों की प्रकृति	बकाया राशि (करोड़ रूपए में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	मंच जहां विवाद लंबित है
शून्य				

8. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान या बैंक या सरकार से कोई ऋण नहीं लिया है। तदनुसार आदेश का खंड 3 (viii) लागू नहीं है। **तथापि, कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान धारक कंपनी, इरकॉन से 40850 लाख रूपए का ऋण लिया है (संदर्भ नोट 27)।**

9. कंपनी ने किसी पब्लिक ऑफर (ऋण माध्यमों सहित) से कोई धन प्राप्त नहीं किया है। तदनुसार आदेश का खंड 3 (ix) लागू नहीं है। **तथापि, कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान धारक कंपनी, इरकॉन से 40850 लाख रूपए का सावधि ऋण लिया है (संदर्भ नोट 27)।**

10. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या इसके अधिकारयों और कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर जालसाजी का कोई मामला नहीं हुआ है।

11. दिनांक 5 जून 2015 की सरकारी अधिसूचना सं. 463(ई) के दृष्टिगत, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड-197 के अनुप्रयोग से छूट प्राप्त है। तदनुसार आदेश का खंड 3 (xi) कंपनी पर लागू नहीं है।

12. निधि नियम, 2014 में विनिर्दिष्ट अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के पैरा 3 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

13. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार अधिनियम के अनुच्छेद 177 तथा 188 के अनुपालन में है, जहां कही लागू हो और इस प्रकार के संव्यवहारों का ब्यौरा वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसा कि लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अपेक्षित है।

14. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशित परिवर्तनीय डिबैंचरों का कोई वरियता आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

15. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिरियम, 2013 के अनुच्छेद-192 के प्रावधानों के भीतर स्वयं से संबंधित निदेशकों या व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद संव्यवहार नहीं किया है।

16. कंपन गैर-बैंकीय वित्तीय संस्थान नहीं है, इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुच्छेद 45-1ए के अंतर्गत पंजीकृत कराए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

कृते एन.सी. राज एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 002249N

सीए राहुल गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या 093114
यूडीआईएन - 21093114AAAABF3108
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 15.06.2021

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध-ख।

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के खंड-143 के उप खंड-3 के खंड-(i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2021 को इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं - कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्त्यिों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण औ संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अश्किल्प, क्रियान्वयन का अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधर पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अश्व्यिक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट ("दिशानिर्देश नोट") के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे शरतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या

वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित औ अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिश्याएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं - वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मोजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रुप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अश्किल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्योरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रुप से प्रदर्शित करता हैं। (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं। (3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रशवित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, चूक और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्ति, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रतिक्रिया के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर उपर्युक्त उल्लिखित सामग्रीगत खामियों के प्रभाव/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सही सामग्रीगत पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शरत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नष्ट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2021 से कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

कृते एन.सी. राज एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 002249N

सीए राहुल गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या 093114
यूडीआईएन - 21093114AAAABF3108

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 15.06.2021

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
सीआईएन - U74999DL2018GOI334028
31 मार्च 2021 को तुलनपत्र

(रूपए लाख में)

	विवरण	**नोट सं.**	**31 मार्च 2021 को**		**31 मार्च 2020 को**	
I.	**परिसंपत्तियां**					
1	**गैर चालू परिसिंपत्त्यिां**					
	(क) परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण	3	0.92		0.89	
	(ख) प्रगतिरत कार्यशील पूंजी		-		-	
	(ग) निवे परिसंपत्ति		-		-	
	(घ) अमूर्त परिसंपत्तियां		-		-	
	(ड.) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		-		-	
	(च) प्रयोग अधिकार परिसंपत्ति		-		-	
	(छ) वित्तीय परिसंपत्ति	4				
	(i) निवेश		-		-	
	(ii) ऋण	4.1	-		-	
	(iii) अन्य	4.2	40,826.35		6,185.54	
	(ज) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	5	2.54		5.46	
	(झ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां		-		-	
	कुल गैर-चालू परिसंपत्तियां			40,829.81		6,191.89
2	**चालू परिसंपत्तियां**					
	(क) दरसूची		-		-	
	(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां	6				
	(i) निवेश		-		-	
	(ii) व्यापार प्राप्य	6.1	4,429.14		11,461.22	
	(iii) रोकड और रोकड समतुल्य	6.2	37.69		370.99	
	(iv) अन्य बैंक शेष	6.3	-		-	
	(v) ऋण	6.4	0.20		0.20	
	(vi) अन्य	6.5	23,025.58		26,643.12	
	(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	7	1,001.89		833.41	
	(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	8	9,610.43		13,459.23	
	(ड.) बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां		-		-	
	कुल चालू परिसंपत्तियां			38,104.93		52,768.17
	कुल परिसंपत्तियां			**78,934.74**		**58,960.06**
II.	**इक्विटी और देयताएं**					
1	**इक्विटी**					
	(क) इक्विटी शेयर पंजी	9	1,000.00		1,000.00	
	(ख) अन्य इक्विटी	10	12,633.52		12,605.98	
	कुल इक्विटी			13,633.52		13,605.98
2	**देयताएं**					
(i)	**गैर चालू देयताएं**					
	(क) वित्तीय देयताएं	11				
	(i) कर्जे	11.1	57,118.14		18,100.00	
	(ii) व्यापार प्राप्य					
	- सक्षम एवं लघ उपक्रमों को देय		-		-	
	- सूक्ष्म और लघु उपक्रमों से इतर देनदारों से बकाया देय राशियां		-		-	
	(iii) O अन्य वित्तीय देयताएं	11.2	-		708.32	
	(ख) प्रावधान		-		-	
	(ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)		-		-	
	(घ) अन्य गैर चालू देयताएं		-		-	
	कुल गैर चालू देयताएं			57,118.14		18,808.32
(ii)	**चालू देयताएं**					
	(क) वित्तीय देयताएं	12				
	(i) कर्जे		-		-	
	(i) व्यापार प्राप्य	12.1				
	- सूक्षम एवं लघु उपक्रमों को कुल देय		-		-	
	- सूक्ष्म और लघु उपक्रमों से इतर देनदारों से बकाया देय राशियां		227.79		16,498.42	
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	12.2	2,929.74		3.87	
	(ख) अन्य चालू देयताएं	13	5,025.55		10,043.47	
	(ग) प्रावधान		-		-	
	(घ) चालू कर देयताएं (निवल)		-		-	
	कुल चालू देयताएं			8,183.08		26,545.76
	कुल इक्विटी और देयता			**78,934.74**		**58,960.06**
III.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1 - 2				
IV.	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट	3 - 35				

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के निमित्त और उनकी ओर से

कृते एन सी राज एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएल - 002249एन

ह/-
राहुल गोयल
स.सं: 093114

ह/-
(सुरजीत दत्ता)
निदेशक
डीआईएन: 06687032

ह/-
(योगेश कुमार मिश्रा)
अध्यक्ष
डीआईएन: 075654014

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 15.06.2021

ह/-
(नितेश कुमार जी. असती)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ह/-
(राज कुमार)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
(रिची महाजन)
कंपनी सचिव

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
सीआईएन - U74999DL2018GOI334028
31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि विवरण

(रूपए लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
I.	**राजस्व :**			
	प्रचालनों से राजस्व	14	48,761.53	61,928.13
II.	अन्य आय	15	42.22	31.79
III.	**कुल आय (I + II)**		**48,803.75**	**61,959.92**
IV.	**व्ययः**			
	परियोजना व्यय	16	46,787.21	61,027.19
	अन्य व्यय	16	1.20	1.05
	कर्मचारी लाभ व्यय	17	186.14	156.09
	वित्तीय लागते	18	1,786.53	743.38
	मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि	19	0.45	0.42
	कुल व्यय (IV)		**48,761.53**	**61,928.13**
V.	आपवादिक मदों तथा कर पूर्व हानि (III - IV)		42.22	31.79
VI.	आपवादिम मदें		-	-
VII.	करपूर्व लाभ (V - VI)		42.22	31.79
VIII.	कर व्ययः			
	(1) चालू कर			
	- वर्ष हेतु		11.23	9.87
	- पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)		0.53	1.28
	(2) आस्थगति कर (निवल)		2.92	(3.35)
	कुल कर व्यय		14.68	7.80
IX	**निरंतर प्रचालनों से अवधि हेतु हानि (VII - VIII)**		**27.54**	**23.99**
X	**<u>अन्य वृहत आय</u>**			
	क. (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	(ii) आयकर संबंधी मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	ख. (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पनःवर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	(ii) आयकर संबंधी मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		-	-
			-	-
XI	**अवधि के लिए कुल वृहत आय (IXI +X) (जिसमें अवधि हेतु लाभ और अन्य वृहत आय शामिल हैं, कर का निवल)**		**27.54**	**23.99**
XII	प्रति शेयर प्रति आमदनी (निरंतर प्रचालनों हेतु)			
	(1) मूल	29	0.28	0.30
	(2) विलयित		0.28	0.30
	प्रति इक्विटी शेयर फेस मूल्य		10.00	10.00

XIII	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1-2		
XIV	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट	3-35		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

कृते एन सी राज एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन- 002249एन

ह/-
राहुल गोयल
स.सं: 093114

ह/-
(सुरजीत दत्ता)
निदेशक
डीआईएन: 06687032

ह/-
(योगेश कुमार मिश्रा)
अध्यक्ष
डीआईएन: 075654014

ह/-
(नितेश कुमार जी. असती)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ह/-
(राज कुमार)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
(रिची महाजन)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 15.06.2021

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
सीआईएन - U74999DL2018GOI334028
31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

(रूपए लाख में)

विवरण		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	
प्रचालन गतिविधियों से रोकड प्रवाह					
कराधान पश्चात निवल लाभ		42.22		31.79	
समायोजन					
मूल्यह्रास, परिशोधन एंव हानि		0.45		0.42	
परिसंपत्यिों की बिक्री पर हानि (निवल)		-		0.07	
ऋण पर ब्याज व्यय		1,772.73		629.75	
ब्याज आय		-42.22		-31.78	
चालू/गैर चालू परिसंपतियों और देयताओं से पूर्व प्रचालनिक लाभ	**(1)**		**1,773.18**		**630.25**
समायोजन					
व्यापार प्राप्त/वित्तीय परिसंपत्तियों - ऋण में कमी / (वृद्धि)-ऋण		7,032.08		-11,461.22	
अन्य परिसंपतियों एवं वित्तीय परिसंपतियों में कमी / (वृद्धि		-27,174.64		-46,036.27	
व्यापार प्राप्य में कमी / (वृद्धि		-16,270.63		17,170.08	
अन्य देयताओं, वित्तीय देयताओं व प्रावधानों में (कमी) /वृद्धि		-4,632.22		10,046.56	
	(2)		**-41,045.41**		**-30,280.85**
प्रचालनों से सृजित रोकड	**(1+2)**		**-39,272.23**		-29,650.60
प्रदत्त आयकर			-180.24		-847.95
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड	**(क)**		**-39,452.47**		**-30,498.55**
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड					
सीडब्ल्यूआईपी सहित परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण			-0.48		-1.19
अमूर्त परिसंपतियों / विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्यिों की बिक्री			-		0.40
प्राप्त ब्याज			42.38		32.81
बैंज जमा खातों में (निवेश)/परिपक्वता (तीन महीनों से अधिक की परिपक्वता वाले)			-		
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड	**(ख)**		**41.90**		**32.02**
वित्तीय गतिविधियों से रोकड प्रवाह					
इक्विटी शेयर पूंजी का इश्यु			-		400.00
इरकॉन से ऋण			40,850.00		18,100.00
ऋण पर ब्याज व्यय			-1,772.73		-629.75
इरकॉन इंटरनेशनल लि. से ब्याज मुक्त ऋण की प्राप्ति			-		12,577.00
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड	**(ग)**		**39,077.27**		**30,447.25**
विदेशी मुद्रा रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में रूपांतरण पर विनिमय अंतर का प्रभाव	**(घ)**		-		-
रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य से निवल वृद्धि(कम)	**(क+ख+ग+घ)**		**-333.30**		**-19.28**
रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य (आरंभिक)	**(ड.)**				
रोकड़ शेष		-			
बैंकों में शेष					
चालू खातों में		1.04		0.27	
फ्लैक्सी खातों में		29.00		390.00	
– 3 महीनों से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशियां		340.95	**370.99**		**390.27**
रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य (अंतिम)	**(च)**				
रोकड़ शेष		-		-	
बैंकों में शेष					
चालू खातों में		6.69		1.04	
फ्लैक्सी खातों में		31.00		29.00	
– 3 महीनों से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशियां		-	**37.69**	340.95	**370.99**
रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य से निवल वृद्धि(कम)	**(च -ड.)**		**-333.30**		**-19.28**

नोट : 1. उपर्युक्त रोकड प्रवाह विवरण को रोकड प्रवाह विवरण पर भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)-7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार किया गया है।

2. प्रकाष्ठ में आंकडे रोकड के बाहरी प्रवाह को दर्शाते हैं।

3. जहां आवश्यक हुआ पिछले वर्ष के आंकडों को पुनसमूहित/पुनःनिर्धारित किया गया है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

कृते एन सी राज एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 002249एन

ह/-
राहुल गोयल
स.सं: 093114

ह/-
(सुरजीत दत्ता)
निदेशक
डीआईएन: 06687032

ह/-
(योगेश कुमार मिश्रा)
अध्यक्ष
डीआईएन: 075654014

ह/-
(नितेश कुमार जी. असती)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ह/-
(राज कुमार)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
(रिची महाजन)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 15.06.2021

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
सीआईएन - U74999DL2018GOI334028
31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(रूपए लाख में)

क. इक्विटी शेयर पूंजी
(31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु)

विवरण	राशि
1 अप्रैल, 2020 को शेष	**1,000**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2021 को शेष	**1,000**

ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	आरक्षित निधि व अतिरेक			अन्य वृहत आय की मदें	कुल
	सामान्य आरक्षित निध	प्रतिधारित आमदनी	पूंजी रिडैम्पशन आरक्षित निधि	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण पर विनिमय अंतर	
1 अप्रैल 2019 को शेष	-	4.99	-	-	4.99
वर्ष हेतु लाभ	-	23.99	-	-	23.99
वर्ष के दौरान संवर्धन			12,577.00		12,577.00
अन्य वृहत आय					-
निर्धारित लाभ योजना का पुनर्मापन	-	-	-	-	-
विदेशी विनिमय अंतरण अंतर	-	-	-	-	-
वर्ष हेतु कुल वृहत आय	-	**23.99**	**12,577.00**	-	**12,600.99**
प्रदत्त लाभांश	-	-	-	-	-
लाभांश संवितरण कर	-	-	-	-	-
31 मार्च 2020 को शेष	-	**28.98**	**12,577.00**	-	**12,605.98**

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	आरक्षित निधि व अतिरेक			अन्य वृहत आय की मदें	कुल
	सामान्य आरक्षित निध	प्रतिधारित आमदनी	पूंजी रिडैम्पशन आरक्षित निधि	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण पर विनिमय अंतर	
1 अप्रैल 2020 को शेष	-	**28.98**	**12,577.00**	-	**12,605.98**
वर्ष हेतु लाभ	-	27.54	-	-	**27.54**
वर्ष के दौरान संवर्धन		-	-		-
अन्य वृहत आय					-
निर्धारित लाभ योजना का पुनर्मापन	-	-	-	-	-
विदेशी विनिमय अंतरण अंतर	-		-	-	-
वर्ष हेतु कुल वृहत आय	-	**27.54**	-	-	**27.54**
प्रदत्त लाभांश	-	-	-	-	-
लाभांश संवितरण कर	-	-	-	-	-
31 मार्च 2021 को शेष	-	**56.53**	**12,577.00**	-	**12,633.53**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

कृते एन सी राज एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 002249एन

ह/-
राहुल गोयल
स.सं: 093114

ह/-
(सुरजीत दत्ता)
निदेशक
डीआईएन: 06687032

ह/-
(योगेश कुमार मिश्रा)
अध्यक्ष
डीआईएन: 075654014

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 15.06.2021

ह/-
(नितेश कुमार जी. असती)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ह/-
(राज कुमार)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
(रिची महाजन)
कंपनी सचिव

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

1. कंपनी का परिचय

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉन वीकेईएल) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और यह कंपनी भारत में स्थित है । इरकॉन वीकेईएल (सीआईएन U74999DL2018GOI33402) का निगमन भारत में लागू कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत किया गया है। कंपनी उस समय अस्तित्व में आई जब "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा रियायत समझौते में नियमों और शर्तों के अनुसार इरकॉन को गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के चरण- VI के तहत हाइब्रिड वार्षिकी मोड (चरण Iक- पैकेज II) के तहत किमी 323.00 से किमी 355.00 तक (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के सपना से पेद्रा खंड तक) का आठ लेन वाला वडोदरा किम एक्सप्रेसवे का काम सौंपा गया था। "अनुरोध प्रस्ताव" के प्रावधानों के अनुसार, चयनित बोलीदाता 'इरकॉन' ने दिनाक 16 मई, 2018 को शामिल इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के नाम से एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन किया है। तदनुसार, इरकॉनवीकेईएल 1865 करोड़ (बोली परियोजना लागत) परियोजना मूल्य की राशि के लिए 25 मई, 2018 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बोली परियोजना लागत का 40%, मूल्य सूचकांक गुणक के लिए समायोजित, निर्माण अवधि के दौरान 8% प्रत्येक की 5 समान किश्तों में देय और देय और रियायतग्राही (इरकॉनवीकेईएल) को देय होगा। शेष बोली परियोजना लागत, मूल्य सूचकांक गुणक के लिए समायोजित, अनुबंध के खंड 23.6 के प्रावधानों के अनुसार सीओडी के 180वें दिन से शुरू होने वाली 30 द्विवार्षिक किश्तों में देय और भुगतानयोग्य होगी, जो संचालन अवधि के दौरान वार्षिकी भुगतान है। यह परियोजना वार्षिकी पैटर्न के तहत है और वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) से 15 वर्षों के लिए इरकॉनवीकेईएल के साथ परिचालन में रहेगी। वार्षिकी मॉडल के तहत उसी का भुगतान समझौते के अनुसार विशिष्ट लक्ष्य की उपलब्धि पर देय होगा। रियायत की अवधि एनएचएआई द्वारा अधिसूचित अनुसार नियत तारीख से शुरू होने वाली 730 दिन है अर्थात दिनांक 31 जनवरी, 2019 को। एनएचएएल ने 180 दिनों का समय विस्तार (ईओटी) प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, एनएचएआई के साथ ईक्यूटी प्रक्रियाधीन है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय C-4, डिस्ट्रिक्ट केंद्र, साकेत, नई दिल्ली- 110017 में स्थित है।

कंपनी की प्रस्तुतीकरण और क्रियात्मक मुद्रा भारतीय रूपए (आईएनआर) है। वित्तीय विवरण में आंकडों को दो दशमलव तक राउंड ऑफ करते हुए लाख रूपए में प्रस्तुत किया गया है केवल प्रति शेयर डॉटा और अन्यथा उल्लेख किया गया हो, को छोडकर।

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों को दिनांक 15.06.2021 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी क निदेशक मंडल द्वारा जारी किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 तैयार करने का आधार

कम्पनी के वित्तीय विवरणों का निर्माण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (समय समय पर यथासंशोधित) के नियम 3 के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (इंड एएस अनुपालन अनुसूची–।।।) की अनुसूची–।।। के भाग–।।, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू, सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करके किया गया है।

वित्तीय विवरणों का निर्माण गोइंग कंसर्न आधार पर प्रोद्भवन लेखांकन प्रणाली का अनुसरण करके किया गया है। कम्पनी ने परिसम्पतियों एवं देयताओं के लागत आधार के लिए ऐतिहासिक लागत को स्वीकार किया है जो उचित मूल्य पर मापन की गई निम्नलिखित परिसम्पतियों एवं देयताओं के अतिरिक्त है :–

- प्रावधान, जहां धन का समय मूल्य सामग्रीगत है वहां मापन वर्तमान मूल्य पर किया गया है।
- कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया गया है।
- परिभाषित लाभ योजना तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ।

2..2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण वित्तीय लेखांकन नीतियों का सार नीचे प्रस्तुत है। इन महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को इस वित्तीय विवरण में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए निरंतर रूप से लागू किया गया है।

2.2.1 चालू बनाम गैर–चालू वर्गीकरण

कम्पनी द्वारा तुलन पत्र में परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रस्तुति चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर गई है।

- किसी परिसम्पति को चालू तब माना जाता है जब :
- सामान्य प्रचालन क्रम में बेची जानी हो अथवा बेचने के लिए निर्धारित हो अथवा उपयोग किया जाना हो,
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है,

- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर बेची जानी संभावित हो, या
- यदि विनिमय अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह में किसी देयता के निपटान के लिए उपयोग के लिए नहीं है तो रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

कम्पनी ने अन्य सभी परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति के रूप में किया है।

कोई देयता चालू तब होती है जब :

- उसका समाधान सामान्य प्रचालन क्रम में किया जाना हो,
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है,
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर समाधान की जानी संभावित हो
- जिसके प्रति रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात कम से कम बारह माह के लिए किसी देयता के समाधान को आस्थगित करने का अप्रतिबंधित अधिकार प्राप्त न हो।

कम्पनी ने अन्य सभी देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू देयता के रूप में किया है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति एवं देयताओं के रूप में किया गया है।

प्रचालन क्रम प्रस्संकरण के लिए अधिगृहित गई परिसम्पतियों एवं रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य से होने वाली प्राप्ति के मध्य का समय काल है। कम्पनी ने परिचालन क्रम के लिए 12 माह निश्चित किए हैं।

2.2.2 सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

<u>स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन</u>

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी मद से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना हो तथा प्रत्येक मद का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता हो। सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है।

परिसम्पति की लागत में शामिल है :

क) क्रय मूल्य, किसी व्यापार छूट एवं रियायत का निवल।

ख) ऋण लागतें यदि पूंजीयन मापदंड पूरे किए गए हैं।

ग) परिसम्पति के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध लागत जिसका वहन परिसम्पति को प्राप्त करने एवं निर्धारित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किया गया है।

घ) निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष निर्माण के भाग के रूप में पूंजीयन किए गए आनुषंगिक व्यय जो निर्माण से संबंधित व्यय से प्रत्यक्ष संबंधित है अथवा उसके संबंध में आनुषंगिक हैं।

ङ) स्वीकृति मापदंड पूरे किए जाने पर मदों को अलग–अलग करने तथा हटाए जाने तथा स्थल नवीकरण करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य।

फ्रीहोल्ड भूमि का वहन ऐतिहासिक लागत पर किया गया है।

अनुवर्ती मापन

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुवर्ती मापन संचित मूल्यह्रास एवं संचित अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, के साथ लागत पर किया जाता है। अनुवर्ती व्यय का पूंजीयन तब किया जाता है जब ऐसे व्यय से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभवना हो तथा व्यय की लागत का मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो।

दीर्घकालिक निर्माण परियोजना के लिए प्रतिस्थापन, प्रमुख जांच, महत्वपूर्ण पूर्जों की मरम्मत तथा ऋण लागतों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मशीनरी के अतिरिक्त पूर्जों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मूल्यह्रास एवं उपयोज्यता काल

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास, बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त फ्रीहोल्ड भूमि एवं पट्टाधारित भूमि को छोड़कर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्दिष्ट परिसम्पतियों के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा आधार पर किया गया है।

विवरण	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष)
भवन / फ्लैट आवासीय / गैर–आवासीय	60
संयंत्र एवं मशीनरी	8–15
सर्वेक्षण उपकरण	10
कम्प्यूटर्स	3–6
कार्यालय उपकरण	5 –10
फर्नीचर एवं जुड़नार	10
कारवां, कैम्प एवं अस्थाई शैड	3–5
वाहन	8–10

अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर परिसम्पति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से निपटान किए जाने की तिथि तक सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण में किए गए आवर्धन/घटाव का मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर किया गया है।

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास, यदि भाग मद की लागत के योग के संबंध में महत्वपूर्ण है तथा ऐसे भाग का उपयोज्यता काल शेष परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल से भिन्न है, अलग से लागत पर किया गया है। मिआद मुक्त पट्टे पर प्राप्त की गई पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

अवधि के दौरान अधिगृहित की गई सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, जिनकी अलग अलग लागत 5000/– रूपए है, का पूर्ण मूल्यह्रास निर्धारण के तौर पर 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ कर लिया गया है। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए मोबाइल फोन, उनके मूल्य को संज्ञान में लिए बिना, लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए गए है।

मूल्यह्रास विधियां, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उचित समझे जाने की स्थिति में उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। में किए गए उल्लेख के अनुसार ''सामान्यतः किसी परिसम्पति का अवशेष मूल्य परिसम्पति की लागत से 5 प्रतिशत तक होता है।''

स्वीकृति समाप्ति

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद तथा उसके विशिष्ट भाग की प्रारंभिक स्वीकृति की समाप्ति उसका निपटान किए जाने तथा उसके निपटान से भविष्य में किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त न होने की संभावना होने पर किए जाते है। किसी परिसम्पति की स्वीकृति समाप्ति से प्राप्त होने लाभ अथवा हानि (निपटान से प्राप्त धन तथा परिसम्पति की वहन राशि के अंतर के अनुसार आकलन) को परिसम्पति की स्वीकृति समाप्त होने पर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.3 गैर–वित्तीय परिसम्पतियों का परिशोधन

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा मूल्यांकन करके किसी परिसम्पति को परिशोधित करने अथवा किसी परिसम्पति का वार्षिक परिशोधन परीक्षण किए जाने की अपेक्षा होने के संकेत ज्ञात करके ऐसी परिसम्पतियों से वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाए जाते हैं। किसी परिसम्पति की वसूली योग्य राशि किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य,

निपटान की लागत को घटाकर, तथा उसके उपयोग मूल्य से अधिक होती है। यदि कोई परिसम्पति ऐसी रोकड़ उत्पति यूनिट नहीं है जो परिसम्पतियों अथवा परिसम्पतियों के समूह से पूरी तरह भिन्न हो तो किसी वैयक्तिक परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण किए जाते हैं। जब किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो परिसम्पति को परिशोधित मान लिया जाता है तथा उसकी मालसूचियों के परिशोधन सहित उसकी वसूलीयोग्य राशि एवं परिशोधन हानि को ह्रासित करके लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति की जाती है।

उपयोग मूल्य के मूल्यांकन कर पूर्व छूट दर, जिससे धन के समय मूल्य के चालू बाजार मूल्यांकन एवं परिसम्पति से संबद्ध जोखिम प्रस्तुत होते हैं, के उपयोग से उसके वर्तमान को अनुमानित रोकड़ प्रवाह से कम करके किए जाते हैं।

साख के अतिरिक्त परिसम्पतियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि क्या संज्ञान में ली गई अक्षमता हानि के संकेत अभी भी हैं अथवा वे कम हो गए हैं। यदि ऐसे संकेत होते हैं तो कम्पनी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाती है। संज्ञान में ली गई अक्षमता हानि का व्युत्क्रमण तभी किया जाता है जब पहले आंकी गई अक्षमता हानि के पश्चात से परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के लिए लगाए गए अनुमानों में किसी प्रकार के परिवर्तन प्रतीत हों। व्युत्क्रमण सीमित होते हैं जिससे कि परिसम्पति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से न तो अधिक हो और न ही यह पूर्वावधि की परिसम्पति से संबंधित अक्षमता हानि न होने की स्थिति में निर्धारित की जाने वाली वहन राशि, मूल्यह्रास का निवल, से अधिक न हो सके। ऐसे व्युत्क्रमण लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए जाते हैं।

2.2.4 राजस्व स्वीकृति

कंपनी इंड एएस-115 "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व" के अनुसार निर्माण और प्रचालन और अनुरक्षण सेवाओं से राजस्व को स्वीकार कराती है और मापन करती है।

कंपनी एक ही समय या उसके आसपास के समय में समान ग्राहकों के साथ प्रविष्ट दो या अधिक संविदओं को एक ही ग्राहक के संयोजित करती है और उन संविदाओं के लिए एकल संविदा के रूप में लेखांकन करती है, यदि संविदाएं एकल कामर्शियल उद्देश्य या एक संविदा में भुगतान की जाने वाली निर्धारित राशि अन्य संविदा या वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य या निष्पादन पर निर्भर करती है के साथ पैकेज के रूप में एकल निष्पादन दायित्व के रूप में निष्पादित हो।

संव्यवहार मूल्य (इसमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है) वह मूल्य है जो सेवाओं के प्रावधान के लिए ग्राहक के साथ अनुबंधित है। राजस्व को लेनदेन के मूल्य पर मापा जाता है जो निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित किया जाता है और इसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है जैसे जीएसटी और इसे परिवर्ती धराशि के साथ समायोजित किया जाता है।

कंपनी की संविदा की प्रकृति मूल्य वृद्धि तथा तरलता क्षतियों सहित विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को उत्पन्न करती है।

संव्यवहार के मूल्य में किसी प्रकार का अनुवर्ती परिवर्तन संविदा में निष्पादन के दायित्वों के लिए उसी आधार पर आवंटित किया जाता है, जैसा संविदा के निर्धारण के समय होता है।

कंपनी परिवर्ती धनराशि हेतु राजस्व को स्वीकार करती है, जब यह संभावना है कि संचयी रूप से स्वीकृत राजस्व राशि में कोई महत्वपूर्ण व्युत्क्रम उत्पन्न नहीं होगा। कंपनी सर्वाधित संभावित राशि पत्रति का प्रयोग करके परिवर्ती धनराशि के रूप में राजस्व अनुमान राशि को स्वीकार करेगी।

इसके परिणामस्वरूप, संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित राशि को राजस्व के रूप में या राजस्व की कमी के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिस अवधि में लेनदेन में परिवर्तन होता है। कंपनी निष्पादन दायित्व को संतुष्ट करती है और समय पर राजस्व को स्वीकार है, यदि किसी भी निम्नलिखित मानदंडों को पूरा किया जाता है:

ख) ग्राहक साथ ही साथ इकाई निष्पादन के रूप में इकाई के कार्यनिष्पादन द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त और उपभोग करता है।

ग) इकाई का निष्पादन परिसंपत्ति का निर्माण या संवर्धन करता है (उदाहरण के लिए, प्रगतिरत कार्य) जिसे ग्राहक द्वारा परिसंपत्ति के निर्माण या वृद्धि पर नियंत्रित किया जाता है।

घ) इकाई का निष्पादन इकाई के लिए वैकल्पिक उपयोग हेतु परिसंपत्ति नहीं बनाता है और इकाई को आज तक पूरा किए गए कार्यनिष्पादन के भुगतान के लिए लागू करने योग्य अधिकार है।

समय के साथ संतुष्ट कार्यनिष्पादन दायित्व के लिए, स्वीकृत राजस्व प्रगति का माप, प्रतिशत पूर्णता पद्धति का उपयोग करके, प्रदर्शन निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की ओर किया जाता है। प्रगति को आज की तारीख तक वास्तविक लागत के अनुपात के अनुसार कार्यनिष्पादन दायित्व के प्रति कुल अनुमानित लागत पर मापा जाता है। तथाति, जहाँ कंपनी किसी निष्पादन बाध्यता के परिणाम को यथोचित रूप से मापने में सक्षम नहीं है, लेकिन कंपनी को संभावना है

कि वह निष्पादन दायित्व को पूरा करने में हुई लागत को वसूलेगी, कंपनी ऐसे समय तक किए गए लागतों की सीमा तक ही राजस्व को स्वीकार करेगी। यह यथोचित निष्पादन दायित्व के परिणाम को माप सकता है।

संविदागत आशोधनों को तब लेखांकित किया जाता है जब पर स्वीकृत संवर्धन, विलोपन या परिवर्तन किए गए हों।

संविदाओं में संशोधन के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा संविदा में शामिल की गई सेवाएं अलग-अलग हैं और मूल्य निर्धारण बिक्री मूल्य पर है या नहीं। शामिल की गई सेवाएं जो पृथक नहीं हैं, उनका संचयी कैच-अप आधार पर लेखांकित किया जाता है, जबकि जो सेवाएं पृथक होती हैं, उन्हें या तो पृथक संविदा के रूप में देखा जाता है, यदि अतिरिक्त सेवाओं का मूल्य स्टैंडएलोन विक्रय मूल्य पर या मौजूदा संविदा की समाप्ति के रूप में निर्धारित किया जाता है, यदि स्टेंडएलोन बिक्री मूल्य पर मूल्यांकित नहीं किया गया है।

क. संविदा शेष

- **संविदा परिसम्पतियां :** किसी संविदा परिसम्पति के संबंध में ग्राहक को प्रतिफल के विनिमय के प्रति माल एवं सेवाओं का अंतरण का अधिकार प्राप्त है। यदि कम्पनी द्वारा ग्राहक के लिए किया जाने वाला निष्पादन माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए ग्राहक द्वारा प्रतिफल दिए जाने से पूर्व अथवा प्रतिफल देय होने से पूर्व किया जाता है तो संविदा परिसम्पति की स्वीकृति अर्जित प्रतिफल, जो सशर्त है, के लिए की जाती है।
- **व्यापार प्राप्य :** प्राप्य से कम्पनी का किसी प्रतिफल के रूप में किसी राशि की प्राप्ति का अधिकार अभिप्रेत है जो किसी शर्त के बिना है (अर्थात प्रतिफल के भुगतान से पूर्व केवल थोड़ा समय अपेक्षित होता है)।
- **संविदागत दायित्व** : संविदागत दायित्व वे दायित्व हैं जो कम्पनी को ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल (अथवा प्रतिफल की कोई देय राशि) के प्रति ग्राहक को माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए हैं। यदि कोई ग्राहक कम्पनी द्वारा माल एवं सेवाओं का अंतरण ग्राहक को करने से पूर्व प्रतिफल का भुगतान करता है तो संविदा दायित्व की पूर्ति भुगतान किए जाने पर अथवा भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) होती है। संविदागत देयतों की राजस्व में स्वीकृति तब की जाती है जबकि कम्पनी द्वारा संविदा के प्रति निष्पादन कर लिया जाता है।

ख. अन्य आय

लाभांश आय को उस समय स्वीकार किया जाता है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाए।

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का प्रयोग करके स्वीकार किया जाता है।

विविध आय को तब स्वीकार किया जाता है जब निष्पादन दायित्व संतुष्ट हो जाते हैं और संविदा की शर्तों के अनुसार आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है!

2.2.5 ऋण लागत

ऋण लागत में ब्याज एवं कम्पनी द्वारा निधियों की प्राप्ति के संबंध में व्यय की गई अन्य लागतें शामिल हैं। ऋण लागतों की सम्बद्धता प्रत्यक्ष रूप से किसी अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से होती है जो परिसम्पति की लागत के पूंजीयन के लिए आशित उद्देश्य से उपयोग अथवा बिक्री के लिए किसी निश्चित अवधि में पूर्ण अथवा निर्मित की जानी अपेक्षित होती है। अन्य सभी ऋण लागतों की स्वीकृति उनके व्यय के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में की गई है। ऋण लागतों में ऐसी विनिमय भिन्नता भी शामिल हैं जिन्हें ऋण लागतों के समायोजन के लिए उपयोग किया गया है।

2.2.6 कर

(क) चालू आय कर

चालू आय कर एवं देयताओं का मापन सम्बद्ध कर विनियमों के अंतर्गत कराधान प्राधिकरणों से संभावित प्राप्य अथवा चुकता की जाने वाली राशियों के अनुसार किया गया है। चालू कर निर्धारण अवधि के लिए देय आय कर के संबंध में कर देयता के रूप में किया गया है तथा इसका आकलन सबंधित कर विनियमों के अनुसार किया गया है। चालू आय कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। चालू कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है या इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है। प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से कर विवरणियों में अपनी उन स्थितियों के संबंध में आवधिक मूल्यांकन किए जाते हैं जिनके लिए लागू कर विनियम व्याख्या तथा यथा लागू स्थापित प्रावधानों के अध्याधीन हैं।

चालू कर परिसम्पतियों एवं कर दायित्वों का समंजन उन स्थितियों के लिए किया गया है जिनके संबंध में कम्पनी के पास समंजन का विधिक प्रवर्तनीय अधिकार है अथवा उनके संबंध में कम्पनी की मंशा निवल आधार पर उनका निपटान करने अथवा परिसम्पति की बिक्री करके एक साथ दायित्व का समाधान करने करने की है।

(ख) आस्थगित कर

आस्थगित कर देयताओं की स्वीकृति परिसम्पतियों एवं देयताओं के कर आधारों तथा रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से उनकी वहन राशियों के मध्य अस्थाई भिन्नताओं के संबंध में देयता विधि के उपयोग से की गई है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों का मापन उन कर दरों पर किया गया है जिनका उपयोग उस अवधि के लिए किया जाना संभावित है जब परिसम्पति का निपटान अथवा दायित्व का समाधान कर दरों के आधार (तथा कर विधियों) पर किया गया था जो प्रवर्तित हैं अथवा रिपोर्टिंग तिथि को प्रवर्तित किए गए हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के बाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। आस्थगित कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है अथवा इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा। स्वीकृत न की गई आस्थगित कर परिसम्पतियों का पुनः मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है तथा इनकी स्वीकृति उस स्तर तक की जाती है जिस स्तर तक यह संभावना बनी रहे कि इससे प्राप्त भावी करयोग्य लाभ से आस्थगित कर परिसम्पतियों की वसूली की जा सकेगी।

आस्थगति कर परिसंपत्तियों और देयताओं को उस समय ऑफसेट किया जाता है जब चालू कर परिसंपत्तियों और देयताओं को ऑफसेट करने का विधिक प्रवर्तनीय अधिकारी होता है और जब आस्थगित कर शेष समान कर निर्धारण प्राधिकरण से संबंधित हो।

2.2.7 कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

वेतन, अल्पकालिक प्रतिपूर्ति छुट्टी एवं निष्पादन सम्बद्ध वेतन (पीआरपी) जैसे बारह माह की पूर्ण सेवा के पश्चात प्रदान किए जाने वाले लाभों का वर्गीकरण अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में किया गया है तथा ऐसे लाभों की गैर–डिस्काउंटिड राशि को उस अवधि से संबंधित लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं।

ख) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ

सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ एवं अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, क्योंकि कंपनी में कर्मचारी धारक कंपनी से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।

2.2.8 रोकड प्रवाह विवरण

रोकड़ और रोकड समतुल्य में उपलब्ध रोकड, बैंकों में रोकड और तीन महीनों या इससे कम अवधि की मूल परिपक्वता वाली अल्पकाली सावधि जमा राशियांजो ज्ञात रोकड राशिके लिए तत्काली नकदीकृत की जा सकती है और जो मूल्य में परिवर्तन के गैर महत्वपूर्ण स्तर के अध्याधीन हो।

रोकड प्रवाह विवरण के प्रयोजन हेतु, रोकड और रोकड समतुल्य में अप्रतिबंधित रोकड और अल्पकालीन जमा राशियां शामिल हैं, जैसा कि उपर परिभाषित किया गया है, क्योंकि ये कंपनी के रोकड प्रबंधन का अभिन्न अंग समझा जाता है।

2.2.9 लाभांश

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश वितरण को उस अवधि में देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसमें लाभांश शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। किसी भी अंतरिम लाभांश को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है। लाभांश वितरण पर देय लाभांश और संगत कर सीधे इक्विटी में स्वीकृत होता है।

2.2.10 प्रावधान, आकस्मिक परिसम्पतियां एवं आकस्मिक देयताएं

(क) प्रावधान

प्रावधान को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कम्पनी का कोई वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा तक्रसाध्य) हो तथा ऐसी संभावना हो कि दायित्व के निपटान, जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हैं, के लिए संसाधनों का बह्रिप्रवाह अपेक्षित है। प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित विचार, दायित्व से जुड़े जोखिम एवं अनिश्चितताओं पर विचार, के पश्चात आंके गए उत्तम अनुमान के अनुसार होती है।

जब धन के समय मूल्य का वस्तुगत होने की संभावना होती है तो प्रावधान राशि को दायित्व से सम्बद्ध जोखिम की प्रस्तुति करने वाली, जब उचित हो, पूर्व कर दर के उपयोग से कम कर दिया जाता है। समय के परिवर्तन को वित्त लागत के रूप में विचार में लिए जाने के कारण डिस्काउंटिंग के उपयोग के पश्चात प्रावधान अधिक कर दिए जाते हैं।

ख) दुर्वह संविदाएं

दुर्वह संविदा वह संविदा है जिसमें संविदा के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने की वे अपरिहार्य लागतें (अर्थात वे लागतें जिनकी संविदा के कारण कम्पनी अनदेखी नहीं कर सकती है) आती हैं, जो उससे प्राप्त होने वाले संभावित आर्थिक लाभों से अधिक होती हैं। किसी संविदा के अंतर्गत अपरिहार्य लागतें संविदा की विद्यमान न्यूनतम लागत की प्रस्तुति करते हैं जो इसके निष्पादन की लागत एवं इसे निष्पादित न किए जाने के मुआवजे अथवा उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों से कम हैं। यदि कम्पनी की कोई दुर्वह संविदा है तो संविदा के अंतर्गत दायित्व की स्वीकृति एवं मापन के लिए प्रावधान किए जाते हैं। तथापि, दुर्वह संविदा के लिए अलग प्रावधान करने से पूर्व कम्पनी किसी अक्षमता हानि की स्वीकृति करती है जो ऐसी संविदा के लिए नियत की गई परिसम्पतियों के संबंध में हुई है।

इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में करके चालू उत्तम अनुमान के अनुसार समायोजन प्रस्तुत किए गए हैं।

ग) आकस्मिक देयताएं

ऐसे आकस्मिक दायित्वों के संबंध में प्रकटीकरण किया जाता है जब संभावित दायित्व अथवा वर्तमान दायित्वों के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बहिप्रवाह अपेक्षित होने की संभावना होती है, परन्तु नहीं भी हो सकती है, अथवा ऐसे दायित्वों की राशि का मापन विश्वसनीयता से नहीं किया जा सकता है। जब किसी संभावित दायित्व अथवा विद्यमान दायित्व के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बहिप्रवाह होने की संभावना काफी होती है तो कोई प्रावधान अथवा प्रकटीकरण नहीं किए जाते हैं।

इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है तथा चालू उत्तम अनुमानों के अनुसार इनका समायोजन किया जाता है।

घ) आकस्मिक परिसम्पतियां

आकस्मिक परिसम्पतियों की स्वीकृति नहीं की जाती है अपितु आर्थिक लाभों के प्रवाह की विश्वसनीयता होने पर इनका प्रकटीकरण किया जाता है।

2.2.11 पट्टे

कम्पनी द्वारा संविदा के प्रारंभ में ऐसे मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या संविदा पट्टा, अथवा अंतर्विष्ट पट्टा, है अथवा नहीं है। इसका अर्थ है कि क्या संविदा में संज्ञान में ली गई परिसम्पति के संबंध में किसी अवधि में उपयोग के नियंत्रण का अधिकार प्रतिफल के विनिमय के प्रति उपलब्ध है।

क) पट्टेदार के रूप में कम्पनी

कम्पनी द्वारा अल्पकालिक पट्टों तथा न्यूनतम मूल्य की परिसम्पतियों के पट्टों के अलावा सभी पट्टों के संबंध में एकल स्वीकृति एवं मापन विधि का उपयोग किया जाता है। कम्पनी पट्टा दायित्वों की स्वीकृति पट्टा भुगतानों तथा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों के रूप में करती है जिससे अंतर्निहित परिसम्पतियां उपयोग अधिकार की प्रस्तुति करती हैं।

i) पट्टा दायित्व

कम्पनी द्वारा पट्टे की प्रारंभ तिथि को पट्टा काल के लिए चुकता किए जाने वाले पट्टा के वर्तमान मूल्य के अनुसार मापन किए गए पट्टा दायित्वों को स्वीकृति दी जाती है। पट्टा

भुगतानों में किसी प्रकार के प्राप्य प्रोत्साहन घटाकर नियत भुगतान (सारभूत नियत भुगतान में शामिल), परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो सूचकांक अथवा किसी दर पर निर्भर हैं, तथा अवशेष मूल्य गारंटियों के अंतर्गत चुकता की जाने वाली संभावित राशियां शामिल है। पट्टा भुगतानों में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य भी शामिल होता है जिसका औचित्यपरक निश्चितता के साथ कम्पनी उपयोग कर सकती है, तथा पट्टों समाप्त करने, यदि पट्टा काल शर्तों में शास्तियों के भुगतान की व्यवस्था है, के विकल्प का उपयोग कर सकती है। व्यय के रूप में स्वीकृत किसी सूचकांक अथवा दर पर निर्भर न होने वाले परिवर्तनीय पट्टा भुगतान (यदि वे मालसूचियों के उत्पादन के लिए व्यय नहीं किए गए हैं) उनकी उत्पति की अवधि अथवा भुगतान किए जाने की स्थिति में किए जाते हैं।

पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य का आकलन करते हुए कम्पनी पट्टा प्रारंभ तिथि से आवर्धित ऋण दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर का सुगमता से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात पट्टा दायित्वों की राशि में ब्याज अभिवृद्धि की प्रस्तुति के लिए वृद्धि हो जाती है तथा किए गए पट्टा भुगतान कम हो जाते हैं। इसके अलावा, पट्टा दायित्वों के वहन मूल्य का पुनःमापन किसी प्रकार का संशोधन किए जाने, पट्टा काल में परिवर्तन किए जाने, पट्टा भुगतानों में परिवर्तन किए जाने (अर्थात पट्टा भुगतानों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किसी सूचकांक अथवा दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भावी भुगतानों में परिवर्तन) अथवा अंतर्निहित परिसम्पति के क्रय के विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में किया जाता है।

कम्पनी के पट्टा दायित्वों को वित्तीय दायित्वों में शामिल किया जाता है।

ii) अल्पकालिक पट्टे तथा निम्न मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टे

कम्पनी द्वारा आवासीय परिसरों तथा कार्यालयों (अर्थात वे पट्टे जिनका पट्टा काल प्रारंभ की तिथि से 12 माह अथवा कम है तथा जो क्रय विकल्प के साथ नहीं हैं) के अपने अल्पकालिक पट्टा अनुबंधों में अल्पकालिक पट्टा स्वीकृति के लिए छूट का उपयोग किया जाता है। कम्पनी द्वारा कार्यालय उपकरणों, जो न्यून मूल्य के रूप में विचार में नहीं लिए गए हैं, के पट्टों के लिए पट्टे की न्यून मूल्य परिसम्पति छूट का उपयोग भी किया जाता है। अल्पकालिक पट्टों के पट्टा भुगतान तथा न्यून मूल्य परिसम्पतियों के पट्टों की स्वीकृति पट्टा काल के लिए सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में की जाती है।

कंपनी ने इंड एएस 116 के अनुसार पट्टा लेखांकन हेतु समायोजन किया है, जो दिनांक 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी हुआ है, और सभी संबंधित आंकड़ों को पुनःवगीकृत/पुनःसमूहित किया गया है ताकि इंड एएस 116 के अपेक्षाओं को प्रभावी बनाया जा सके।

2.2.12 वित्तीय उपकरण

वित्तीय उपकरण अनुबंध होते हैं, जो किसी इकाई की वित्तीय परिसम्पति तथा किसी अन्य इकाई के किसी दायित्व अथवा वित्तीय उपकरण के संव्यवहार के लिए किए जाते हैं।

क) वित्तीय परिसम्पतियां

प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

वित्तीय परिसम्पतियों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय परिसम्पतियों (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापना की गई परिसम्पतियों के अतिरिक्त) के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं। वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों को उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि के माध्यम से तुरंत लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के उद्देश्य वित्तीय परिसम्पतियों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया हैः

- **परिशोधन लागत पर नामे उपकरण**

  निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर 'ऋण उपकरण' का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता हैंः

  क) परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के अनुसार ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है, और

  ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकाया मूल राशि पर मूल और ब्याज (एसपीपीटी) का भुगतान है।

  ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षमता हानि से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ अथवा हानि में स्वीकृति दी जाती है। यह वर्ग सामान्यत व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है।

- **अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर ऋण उपकरण**

  निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होने पर 'ऋण उपकरण' का एफवीटीओसीआई पर वर्गीकृत किया गया है:

क. व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और

ख. परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर–स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

- **एफवीटीपीएल पर ऋण उपकरण**

एफवीटीपीएलप ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवी ओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एफवीटीपीएल के वर्ग में शामिल ऋण उपकरणों का मापन लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया गया है।

- **<u>इक्विटी उपकरण</u>**

इंड एएस–109 के कार्य क्षेत्र में इक्विटी निवेश का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। जो इक्विटी उपकरण एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत व्यापार के लिए धारित किए गए हैं। अन्य सभी उपकरणों के लिए कम्पनी द्वारा उचित मूल्य पर अनुवर्ती परिवर्तन पर अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का अशोध्य चयन किया गया है। कम्पनी द्वारा ऐसे चयन उपकरण–वार आधार पर किए जाते हैं। ऐसे वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किए जाते हैं तथा ये अशोध्य होते हैं।

यदि कम्पनी किसी इक्विटी उपकरण का वर्गीकरण एफवीटीओसीआई के रूप में करने का निर्णय लेते है तो लाभांशों के अलावा उपकरण के सभी उचित मूल्य परिवर्तनों की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है। निवेश की बिक्री के पश्चात भी अन्य व्यापक आय में से राशियों का पुनःचक्रण लाभ एवं हानि विवरण में नहीं किया जाता है। तथापि, कम्पनी इक्विटी में संचित लाभ एवं हानि का अंतरण कर सकती है।

एफवीटीपीएल वर्ग में शामिल इक्विटी उपकरणों का मापन उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

ईसीएल उन सभी संविदागत नकद प्रवाहों के मध्य का अंतर है जो कम्पनी संविदा के अंतर्गत देय हैं तथा जो ऐसे नकद प्रवाहों से संबंधित हैं जिनकी प्राप्ति की प्रत्याशा इकाई (अर्थात सभी नकद न्यूनताएं), तथा जो मूल ईआईआर पर न्यून किए गए हैं।

इंड एएस–109 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पतियों एवं क्रेडिट ऋण जोखिमों से संबंधित प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को मापन एवं अक्षमता हानि में स्वीकृति के लिए उपयोग किया गया हैः

क. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा जिनका मापन परिशोधन लागत अर्थात ऋण, ऋण प्रतिभूतियों, जमा, व्यापार प्राप्यों एवं बैंक शेष के लिए किया गया है।

ख. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा एफवीटीओसीआई पर मापन की गई हैं।

ग. इंड एएस–116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य।

घ. व्यापार प्राप्य अथवा अन्य संविदागत अधिकार के अंतर्गत प्राप्त नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति जो ऐसे संव्यवहार से प्राप्त हो जो इंड एएस–115 के दायरे में है।

ङ. ऋण प्रतिबद्धताएं जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

च. वित्तीय गारंटी अनुबंध जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

कम्पनी द्वारा निम्नलिखित के संबंध में अक्षमता हानि भत्ते की स्वीकृति के लिए ''सरल दृष्टिकोण' का अनुसरण किया गया हैः

- व्यापार प्राप्यों अथवा अनुबंध राजस्व प्राप्यों; तथा
- सभी ऐसे पट्टा प्राप्यों जिनके संव्यवहार इंड एएस 116 के दायरे में हैं।

सरल दृष्टिकोण की उपयोज्यता के लिए कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में ट्रैक परिवर्तन नहीं करने होते हैं। इसके स्थान पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को लाइफटाइम ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्तों का उपयोग प्रारंभिक स्वीकृति की तिथि से किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पतियों एवं ऋण जोखिम पर क्षमता हानि के संज्ञान के लिए कम्पनी यह निर्धारण करती है कि क्या प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है अथवा नहीं हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है तो 12 माह की ईसीएल का उपयोग क्षमता हानि के प्रावधान के लिए किया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होने पर लाइफटाइफ ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि किसी अनुवर्ती अवधि में उपकरण की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार आता है तथा प्रारंभिक संज्ञान के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण बढ़त नहीं होती है तो इकाई द्वारा 12 माह की ईसीएल पर आधारित क्षमता ानि भत्ते को समाप्त कर दिया जाता है।

लाइफटाइम ईसीएल वे प्रत्याशित क्रेडिट हानियां हैं जो वित्तीय परिसम्पति के संभावित उपयोज्यता काल में संभव चूक घटनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। 12 माह ईसीएल लाइफटाइम ईसीएल का वह भाग है जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के दौरान संभावित चूक घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं।

ईसीएल क्षमता हानि भत्ता (अथवा रिवर्सल) की स्वीकृति आय/व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। इस राशि की प्रस्तुति ''अन्य व्यय'' शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। विभिन्न वित्तीय उपकरणों के अंतर्गत तुलन पत्र की प्रस्तुति का वर्णन नीचे किया गया हैः–

- परिशोधित लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां, संविदागत राजस्व प्राप्य एवं पट्टा प्राप्यः ईसीएल की प्रस्तुति एक भत्ते के रूप में अर्थात तुलन पत्र में ऐसी परिसम्पतियों के मापन के अभिन्न भाग के रूप में की जाती है। निवल वहन राशि में से भत्ता घटा दिया जाता है। परिसम्पति द्वारा बट्टा मापदंड पूरे न किए जाने तक कम्पनी सकल वहन राशि में से क्षमता हानि भत्ते को कम नहीं करती है।

- ऋण प्रतिबद्धताएं एवं वित्तीय गारंटी संविदा : ईसीएल की प्रस्तुति तुलन पत्र में एक प्रावधान अर्थात एक दायित्व के रूप में की गई है।

- ऋण उपकरण का मापन एफवीटीओसीआई के अनुसार : ऋण उपकरणों का मापन एफवीओसीआई के अनुसार किया गया है, संभावित क्रेडिट हानियों से तुलन पत्र में वहन राशि कम नहीं हुई है जिससे यह उचित मूल्य पर होती है। परिसम्पति का मापन अन्य व्यापक आय में स्वीकृत परिशोधन लागत पर ''संचित परिशोधन राशि'' के रूप में करने की स्थिति में इसके स्थान पर भत्ते के समतुल्य एक राशि उत्पन्न होगी।

कम्पनी द्वारा क्षीण क्रेडिट वाली वित्तीय परिसम्पतियों (पीओसीआई), अर्थात ऐसी परिसम्पतियां जिनका क्रेडिट क्रय/व्युत्पति पर क्षीण है, का क्रय अथवा व्युत्पति नहीं की गई है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की अस्वीकृत

वित्तीय परिसंपत्तियां (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्त्यिों का भाग या समान वित्तीय परिसंपत्तिया के समूह का भाग) को अस्वीकार केवल तब किया जाता है जब परिसंपत्त्यिों से रोकड प्रवाहों का संविदागत अधिकार समाप्त हो जाता है या वित्तीय परिसंपत्तियां अंतरित हो जाती हैं तथा इसके परिणामस्वरूप परिसंपत्ति के सभी जोखिम और परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी प्रतिफल भी अंतरित हो जाता हैं।

वह मूल्य और प्राप्त/प्राप्य लाभ राशि में अंतर को लाभ और हानि विवरण में स्वीकार किया जाता है।

ख) वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

सभी वित्तीय देयताओं की स्वीकृति प्रारंभ में उचित मूल्य पर, तथा ऋण एवं उधार तथा देयताओं के मामले में संव्यवहार लागतों से प्रत्यक्ष सम्बद्ध निवल के अनुसार की जाती है।

कम्पनी की वित्तीय देयताों में व्यापार एवं अन्य देयताएं, ऋण एवं उधार, अन्य वित्तीय देयताएं इत्यादि शामिल हैं।

अनुवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन नीचे प्रस्तुत विवरण के अनुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर है:

- **लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं**

  कम्पनी के पास एफवीटीपीएल के अंतर्गत किसी प्रकार की वित्तीय देयताएं नहीं हैं।

- **परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं**

ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताओं का अनुवर्ती मापन ईआईआर विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम देयताओं की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है। परिशोधन लागत का आकलन किसी प्रकार की छूट अथवा अधिग्रहण प्रीमियम तथा शुल्क अथवा लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, को लेखे में लेकर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन में लाभ एवं हानि विवरण की वित्त लागतों को शामिल किया जाता है।

वित्तीय देयताओं की स्वीकृति समाप्ति

किसी वित्तीय देयता की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब देयता के दायित्व पूरे कर लिए जाते हैं अथवा रद्द हो जाते हैं अथवा कालातीत हो जाते हैं। जब कोई विद्यमान वित्तीय देयता के स्थान पर समान ऋणदाता से महत्वपूर्ण भिन्न शर्तों पर अथवा विद्यमान देयताओं की शर्तों की संशोधित शर्तों पर कोई बदलाव किया जाता है तो ऐसे विनिमय अथवा सुधार को मूल देयता की स्वीकृति समाप्ति मानकर नई देयता के प्रति स्वीकृति की जाती है। सम्बद्ध वहन राशियों की अंतरों को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

ग) वित्तीय गारंटी संविदाएं

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं वे संविदाएं हैं जिनमें कंपनी को ऋण माध्यम की शर्तों के अनुसार देय होने पर विशिष्ट ऋणदाता द्वारा भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में धारक को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए भुगतान की अपेक्षा होती है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को आरंभिक तौर पर लागतों के संव्यवहारों के लिए समायोजित उचित मूल्य पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, को प्रत्यक्ष रूप से गारंटी के जारी किए जाने से संबंधित है। तत्पश्चात, देयता को इंड एएस–109 की हानि अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित घाटा भत्ते के राशि तथा स्वीकृत राशि घटा संचित परिशोधन, जो कोई भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

घ) वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण

कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति के समय निर्धारित करती है। प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात उन वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण अथवा वित्तीय देयता होते हैं। ऋण उपकरणों की वित्तीय परिसम्पतियों के लिए पुनःवर्गीकरण तभी किया जाता है जब ऐसी परिसम्पतियों के प्रबंधन के व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन हुआ हो। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन की संभावना कभी–कभार होती है। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कम्पनी या किसी ऐसे क्रियाकलाप का निष्पादन करना प्रारंभ करती है अथवा समाप्त करती है जो उसके प्रचालनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों का वर्गीकरण करती है तो ऐसा पुनःवर्गीकरण उत्तरव्यापी प्रभाव से अगली रिपोर्टिंग अवधि के तत्काल निकट अगले दिन से व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करके किया जाता है। कम्पनी स्वीकृत लाभों, हानियों (क्षमता लाभ अथवा हानियों सहित) अथवा ब्याज की पुनः प्रस्तुति नहीं करती है।

ड.) वित्तीय माध्यमों की ऑफसेटिंग

स्वीकृत राशियों का समंजन करने के संबंध में चालू प्रवर्तनीय संविदागत विधिक अधिकार होने तथा परिसम्पतियों से प्राप्ति एवं साथ ही साथ देयताओं का निपटान निवल आधार पर करने की मंशा होने की स्थिति में वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं, एवं तुलन पत्र में सूचित की गई राशियों का समंजन किया जाएगा।

2.2.13 उचित मूल्य मापन

कम्पनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पति को बेचने अथवा किसी देयता को अंतरित करने के लिए दिए जाने के लिए बाजार प्रतिभागियों के साथ मापन की तिथि को प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन ऐसे अनुमान पर आधारित है जो परिसम्पति को बेचने के संव्यवहार अथवा देयता का अंतरण करने के उद्देश्य से या तो :

- उत्तम बाजार में परिसम्पतियों अथवा देयताओं के लिए; अथवा
- उत्तम बाजार न होने पर परिसम्पतियों एवं देयताओं के अत्यधिक लाभकारी बाजार में। उत्तम अथवा लाभकारी बाजार कम्पनी की पहुंच के दायरे में होना चाहिए।

किसी परिसम्पति अथवा देयता के उचित मूल्य का मापन बाजार प्रतिभागियों के ऐसे अनुमानों के अनुसार यह मानकर किया जाता है कि वे इसमें आर्थिक उत्तम हित में बाजार प्रतिभागी क्रिया कर रहे हैं।

किसी गैर–वित्तीय परिसम्पति के उचित मूल्य का मापन उच्चतर एवं बेहतर उपयोग से परिसम्पति का उपयोग आर्थिक लाभों की उत्पति के संबंध में बाजार प्रतिभागियों की क्षमता को विचार में लेकर अथवा इसकी बिक्री किसी अन्य बाजार कर करके, जो परिसम्पति का उपयोग उच्चतर एवं बेहतर ढंग से कर सकता है, किया जाता है।

कम्पनी द्वारा मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग किया जाता है ऐसी परिस्थितियों के लिए उचित हैं तथा जिनके संबंध में वह पर्याप्त डेटा उचित मूल्य के मापन के उद्देश्य से उपलब्ध है, जिनसे सम्बद्ध प्रेक्षण योग्य इनपुट का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा तथा गैर–प्रेक्षण योग्य इनपुट का उपयोग न्यूनतम किया जा सकेगा।

सभी परिसम्पतियां एवं देयताओं, जिनके संबंध में उचित मूल्य पर मापन अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया गया है, का वर्गीकरण उचित मूल्य की तारतम्यता का अनुसरण करके किया गया है जो न्यूनतम स्तर के इनपुट पर आधारित है तथा पूर्ण रूप से उचित मूल्य पर मापन के लिए महत्वपूर्ण हैंः–

- स्तर 1 – समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा देयताओं के सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर–समायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गैर–प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।

ऐसी परिसम्पतियों एवं देयताओं के संबंध में, जो आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई हैं, कम्पनी द्वारा स्तरों के मध्य के स्तरों पर तारतम्यता में अंतरण किए जाने के निर्धारण (न्यूनतम स्तर इनपुट पर आधारित जो पूर्ण उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जाते हैं।

महत्वपूर्ण परिसम्पतियों एवं देयताओं, यदि कोई हों, के लिए बाह्य मूल्यांककों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा उन परिसम्पतियों एवं देयताओं के मूल्य के संचलनों का विश्लेषण किया जाता है जिनका मापन अथवा पुनःमापन कम्पनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाना अपेक्षित होता है।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के लिए कम्पनी द्वारा परिसम्पतियों एवं देयताओं के वर्ग उनकी प्रकृति, विशिष्टताओं एवं परिसम्पति अथवा देयता से जुड़े जोखिमों तथा ऊपर स्पष्ट की गई तारतम्यता के अनुसार उचित मूल्य के स्तर के आधार पर किए जाते हैं।

ऊपर उचित मूल्य के लिए लेखांकन नीतियों का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। उचित मूल्य से संबंधित अन्य प्रकटीकरण सम्बद्ध नोटों में किए गए हैं।

2.2.14 पूर्वावधि समायोजन

चालू वर्ष में पूर्वावधि से संबद्ध चूक/अकरण पाई जाने पर यदि प्रत्येक एवं अकरण का औसत कम्पनी के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल परिचालन राजस्व के 0.50 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है तो उसका उपचार सारहीन रूप से किया जाता है तथा उसका समायोजन चालू वर्ष में किया जाता है।

2.2.15 प्रचालनिक सेगमेंट

प्रचालन सेगमेंट को इस रूप में रिपोर्ट किया जाता है जो मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक को उपलब्ध आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुसार हो। तदनुसार, कंपनी ने भौगोलिक स्थल के आधार पर एक प्रचालनिक रिपोर्टिंग सेगमेंटों की पहचान की है।

2.2.16 प्रति शेयर आमदनियां

प्रति शेयर मूल आमदनी निर्धारित करने के लिए, समूह इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ पर विचार करता है। प्रति शेयर मूल आमदनी के परिकलन में प्रयुक्त शेयरों की संख्या उस अवधि के दौरान बकार्यों शेयरों की संख्या का औसत है। प्रति शेयर विलयित आमदनियों के निर्धारण के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ और इस अवधि के दौरान बकार्यों शेयरों की औसत संख्या को सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

2.2.17 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान एवं निर्धारण

उक्त वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग में लाए गए अनुमानों का अनवरत मूल्यांकन कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा ये ऐतिहासिक अनुभव एवं विभिन्न अन्य अनुमानों एवं कारकों (भावी घटनाओं की संभावनाओं सहित), जिनके प्रति कम्पनी का विश्वास विद्यमान परिस्थितियों के कारण औचित्यपरक रूप से है, पर आधारित होते हैं। ऐसे अनुमान ऐसे तथ्यों एवं घटनाओं पर आधारित होते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को विद्यमान हैं अथवा जिनका आस्तित्व इस तिथि के पश्चात हुआ है परन्तु विद्यमान स्थितियों के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को इनका आस्तित्व होने के अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध हैं। तथापि, कम्पनी द्वारा ऐसे अनुमानों, वास्तविक परिणामों का नियमित मूल्यांकन किया जाता है परन्तु ऐसे अनुमान आंके जाने के समय औचित्यपरक होते हुए इनके वास्तविक परिणाम सामग्रीगत रूप से भिन्न हो सकते हैं तथा ऐसे परिणाम ऐतिहासिक अनुभव अथवा अनुमानों से भिन्न होने पर भी पूरी तरह से सटीक नहीं होते हैं। अनुमानों में होने वाले परिवर्तनों की स्वीकृति उस अवधि के वित्तीय विवरणों में की जाती है जिस अवधि में ये ज्ञात होते हैं।

रिपोर्टिंग तिथि को भावी एवं अन्य प्रमुख स्रोतों के अनुमानों की अनिश्चितता से संबंधित प्रमुख अनुमान, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में परिसम्पतियों एवं देयताओं की वहन राशियों में सामग्रीगत समायोजन की उत्पति का महत्वपूर्ण जोखिम व्याप्त है, का वर्णन नीचे किया गया है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

(क) ग्रहित न किए गए व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधान

व्यापार प्राप्यों के साथ ब्याज नहीं होता है तथा इनकी प्रस्तुत उनके सामान्य मूल्यों पर अनुमानित वसूलीयोग्य राशि पर छूट करके प्रदान की जाती है जो प्राप्य शेष एवं ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होती है। व्यापार प्राप्यों का अलग अलग बट्टा तब किया जाता है जब प्रबंधन को उनकी वसूली संभव प्रतीत नहीं होती है।

(ख) निर्धारित लाभ योजनाएं

सेवानिवृत्ति पूर्व लाभ दायित्वों का लागतों का निर्धारण इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेउ द्वारा बीमांकक मूल्यांकनों के प्रयोग द्वारा किया जाता है। बीमांकक मूल्यांकन में विभिनन अनुमानों का निर्धारण शामिल है, जो भविश्य की वास्तविग गतिविधियों से भिन्न हो सकता है। इसमें रियायत दर, भावी वेतन वृद्धि, मत्यु दर तथा भावी पेंशन वृद्धि का निर्धारण शामिल है। मूल्यांकनों और

इसके दीर्घकालीन प्रकृति में शामिल जटिलताओं के कारण, निर्धारित लाभ दायित्व इन अनुमानों में परिवर्तनों के प्रति उच्च संवेदनशील है। इन सभी अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है।

(ग) आकस्मिताएं

कम्पनी के प्रति व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान आकस्मिक देयताओं की उत्पति न्यायिक मामलों एवं अन्य दावों के परिणामस्वरूप होती है। ये ऐसे दायित्व होते हैं जिनके संबंध में प्रबंधन सभी उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर संबंधित भुगतान अथवा कठिनाई के परिमाण के अनुमान विश्वसनीयता से नहीं आंक सकती है तथा ऐसे दायित्वों को आकस्मिक दायित्व मानकर इनका प्रकटीकरण नोटों में किया गया है। इस प्रकार, कम्पनी संबंधी जटिल विधिक प्रक्रियाओं के अंतिम प्रतिफल का ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है जिससे आकस्मिकताओं का सामग्रीगत प्रभाव का कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर होने के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सके।

(घ) वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

वित्तीय परिसम्पतियों के लिए अक्षमता प्रावधान चूक जोखिमों एवं संभावित हानि दरों के अनुमानों पर आधारित होते हैं। कम्पनी अपने विवेक का उपयोग करके ऐसे अनुमान लगाकर अक्षमता इनपुट का आकलन करती है जो कम्पनी के पूर्व इतिहास, बाजार स्थितियों के आधार एवं प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लगाए जाने वाले वाले भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं।

(ड.) कर

जटिल कर विनियमों की व्याख्या, कर विधियों में बदलाव एवं राशि एवं भावी करयोग्य आय के संबंध में अनिश्चितताएं व्याप्त होती हैं। व्यापार के स्वरूप के कारण वास्तविक परिणाम एवं लगाए गए अनुमानों अथवा ऐसे अनुमानों में भावी परिवर्तनों से होने वाली भिन्नताओं के कारण पहले से रिकार्ड की गई कर आय एवं व्यय में भविष्य

में समायोजन करने पड़ सकते हैं। कम्पनी द्वारा ऐसे औचित्यपरक अनुमानों के आधार पर प्रावधान स्थापित किए गए हैं। ऐसे प्रावधानों की राशि पूर्व कर लेखापरीक्षा के अनुभव एवं करयोग्य इकाईयों द्वारा की गई कर की भिन्नताओं की व्याख्या जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित होती है। व्याख्या में भिन्नता के कारण कम्पनी के कार्यक्षेत्र में व्याप्त परिस्थितियों से विभिन्न प्रकार के अनेक मामले उत्पन्न हो सकते हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस विस्तार तक की जाती है जहां तक ऐसी विश्वसनीयता हो कि इससे करयोग्य लाभ प्राप्त होंगे जिनके प्रति हानियों का उपयोग किया जा सकेगा। आस्थगित कर परिसम्पतियों की राशि के स्वीकृति योग्य निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है जो समय की अनुकूलता एवं भावी करयोग्य लाभ के स्तर के साथ साथ भावी कर योजना रणनीतियों पर आधारित होते हैं।

(च) गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

अक्षमता तब उत्पन्न होती है जब किसी परिसम्पति रोकड़ उत्पति यूनिट का वहन मूल्य उसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो जाता है तथा जो उसकी निपटान लागतों एवं उपयोग मूल्य को घटाकर उचित मूल्य से अधिक होता है। उचित मूल्य घटाकर निपटान लागत के आकलन आर्म लैंथ पर किए गए बाध्यकारी बिक्री संव्यवहारों से उपलब्ध डेटा पर आधारित होते हैं जो परिसम्पति के निपटान की आवर्धित लागतों को घटाकर समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा प्रत्यक्ष बाजार मूल्यों के अनुसार होते हैं। उपयोग मूल्य का आकलन डीसीएफ मॉडल पर आधारित होता है।

(छ) पट्टा – संवर्धात्मक ऋण दर

कंपनी तत्परता के साथ पट्टे में निर्धारित ब्याज दर का निर्धारण नहीं कर सकती है। इसलिए, वह पट्टा देयताओं का निर्धारण करने के लिए अपने संवर्धात्मक ऋण ब्याज (आईबीआर) का प्रयोग करती है। आईबीआर वह ब्याज दर है जो कंपनी को समान अवधि में ऋण हेतु भुगतान करना होता है, और समान प्रतिभूति के साथ, जिसका प्रयोग समान आर्थिक वातावरण में परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार के समान मूल्य की परिसंपत्ति प्राप्त करने हेतु आवश्यक निधि के लिए होता है।

(ज) नवीकरण एवं समापन विकल्प के साथ पट्टे के अनुबंध काल का निर्धारण – पट्टेदार के रूप में कम्पनी

कम्पनी पट्टा काल का निर्धारण पट्टे को रद्द न किए जाने की शर्त के साथ करती है जिसमें पट्टे की किन्हीं अवधियों को विस्तारित करने, यदि इसका उपयोग करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, अथवा पट्टे का समापन करने के विकल्प के साथ शामिल अवधियों, यदि इसका उपयोग न करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, का समावेश होता है।

कम्पनी द्वारा ऐसे पट्टा अनुबंध किए गए हैं जिनमें विस्तार एवं समापन के विकल्प हैं। कम्पनी अपने विवेक से यह ज्ञात करती है कि क्या किसी पट्टे का नवीकरण करने अथवा उसका समापन करने के विकल्प के उपयोग के प्रति किसी प्रकार के औचित्यपरक कारक हैं अथवा नहीं हैं। इस प्रकार के सभी सम्बद्ध कारकों पर विचार से कम्पनी के सम्मुख नवीकरण करने अथवा समापन करने के विकल्प के उपयोग का आर्थिक कारण प्रस्तुत हो जाता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात कम्पनी पट्टा काल का मूल्यांकन करके यह ज्ञात करती है कि क्या परिस्थितियों में किसी प्रकार की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं अथवा बदलाव हुए हैं जो उसके नियंत्रण में हैं तथा जिनके प्रभाव से कम्पनी को नवीकरण अथवा समापन करने के विकल्प का उपयोग करना पड़ सकता है अथवा नहीं करना पड़ सकता है (अर्थात महत्वपूर्ण पट्टाधारित सुधार अथवा पट्टाधारित परिसम्पतियों में महत्वपूर्ण बदलाव)।

(झ) राजस्व स्वीकृति

कम्पनी की एक राजस्व मान्यता नीति है, जो 2.2.4 पर उपलब्ध है, जिसके उपयोग से कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्वाह किए गए कार्यों का मूल्यांकन करके प्रभाव ज्ञात करती है।

इन नीतियों में किए गए अनुबंधों के प्रतिफल से संबंधित पूर्वानुमान किए जाने की अपेक्षा की गई है जिसके लिए कार्यक्षेत्र एवं दावों तथा भिन्नताओं के संबंध मूल्यांकन एवं निर्णय लिए जाने अपेक्षित होते हैं।

अनेक ऐसी दीर्घकालिक एवं जटिल परियोजनाएं हैं जिनके लिए कम्पनी द्वारा अनुबंध पात्रताओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय निर्धारण किए गए हैं। इनके संभावित प्रतिफलों के परिणाम से इनकी लाभप्रदत्ता एवं नकदी प्रवाह में होने वाले सामग्रीगत सकारात्मक अथवा नकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं।

अनुबंध के नीचे उल्लिखित कारकों के संबंध में भी अनुमान लगाए जाने अपेक्षित होते हैं।

- कार्य की पूर्णता के चरण का निर्धारण
- परियोजना पूर्ण होने की तिथि के अनुमान
- संभावित हानियों के लिए प्रावधान
- दावों एवं भिन्नताओं सहित कार्य निष्पादन के लिए कुल राजस्व एवं कुल अनुमानित लागतों के अनुमान

इनकी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को समीक्षा की जाती है और चालू सर्वोत्तम अनुमानों को प्रदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

अनुबंध से संबंधित लागतों एवं राजस्व का संज्ञान अनुबंध क्रियाकलापों की पूर्ति के चरण के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है जो अनुमानित कुल अनुबंध लागतों की संबंधित तिथियों तक निष्पादित किया गया है जो कि इसकी पूर्णता का चरण नहीं माना जाना है। अनुबंध कार्य की भिन्नताओं तथा दावों को इस विस्तार तक शामिल किया जाता है जिससे इसकी राशियों से मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सके तथा उनकी प्राप्ति की पूर्ण संभावना हो। जब अनुबंध लागतें कुल अनुबंध राजस्व से अधिक होने की संभावना होती है तो तत्काल संभावित हानि की स्वीकृति व्यय के रूप में की जाती है।

3 परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण

(रूपए लाख में)

	कम्प्यूटर	**कुल**
सकल वहन मूल्य (लागत पर)		-
31 मार्च 2019 को	**0.60**	**0.60**
संवर्धन	1.19	1.19
निपटान/समायोजन	-0.60	-0.60
31 मार्च 2020 को	**1.19**	**1.19**
01 अप्रैल 2020 को	**1.19**	**1.19**
संवर्धन	0.48	0.48
निपटान/समायोजन		
31 मार्च 2021 को	**1.67**	**1.67**
मूल्यह्रास और हानि		
01 अप्रैल 2019 को	**0.01**	**0.01**
वर्ष के लिए प्रभारित मूल्यह्रास	0.42	0.42
निपटान/समायोजन	-0.13	-0.13
31 मार्च 2020 को	**0.30**	**0.30**
01 अप्रैल 2020 को	**0.30**	**0.30**
वर्ष के लिए प्रभारित मूल्यह्रास	0.45	0.45
निपटान/समायोजन		-
31 मार्च 2021 को	**0.75**	**0.75**
निवल बही मूल्य		
31 मार्च 2021 को	**0.92**	**0.92**
31 मार्च 2020 को	**0.89**	**0.89**

4 वित्तीय परिसंपति

4.1 गैर चालू परिसंपतियां - ऋण

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
क) वसूली योग्य - रक्षित		
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	-	-
ख) वसली योग्य - अरक्षित		
(i) संबंधित पक्षों का ऋण:	-	-
कुल-ख वसूली योग्य - रक्षित (i+ii)	-	-
ग) ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि(निरस्त)	-	-
ग. ऋण संबंधी हानि (निरस्त)	-	-
कुल	-	-

4.2 गैर चालू परिसंपतियां - अन्य वित्तीय परिसंपत्यिां

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
वसूली योग्य - अरक्षित		
संविदा परिसंपतियां :		
- बिल योग्य राजस्व/प्राप्य किन्तु देय नहीं	40,826.36	6,185.54
कुल	**40,826.36**	**6,185.54**

5 अस्थगित कर परिसंपतियों और आय कर

इंड एएस 12 "आयकर" के अनुसरण में प्रकटन

(क) 31 मार्च 2021 तथा 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु आय कर व्यय के प्रमुख घटक हैं:

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	विवरण	को समाप्त वर्ष	
		31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
1	**लाभ और हानि खंड**		
	चालू आय कर:		
	चालू आय कर प्रभा	11.23	9.87
	पिछले वर्ष के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	0.53	1.28
	आस्थगित कर:		
	अस्थायी अंतरों के समायोजन एंव प्रतिक्रम से संबंधित	2.92	-3.35
	लाभ और हानि खंड में प्रस्तुत आयकर व्यय	**14.68**	**7.80**
2	**अन्य वृहत आय (ओसीआई) खंड**		
	वर्ष के दौरान ओसीआई में स्वीकृत मदों से संबंधित आयकर		
	निर्धारित लाभ योजनाओं के पुनःमापन पर निवल घाटा/(लाभ)	-	-
	विदेशी प्रचालन अंतरण पर निवल घाटा/(लाभ)	-	-
	ओसीआई खंड में प्रस्तुत आयकर व्यय	-	-

(ख) 31 मार्च 2021 तथा 31 मार्च 2020 के लिए भारत के घरेलू कर दर द्वारा गुणा कर व्यय और लेखांकन लाभ का समायोजन:

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	विवरण	को समाप्त वर्ष	
		31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
1	आयकर से पूर्व लेखांकन लाभ	42.22	31.79
2	आयकर अधिनियम,1961 के अनुसार निगमित कर दर	25.168%	25.168%
3	लेखांकन लाभ पर कर (3) = (1) * (2)	10.62	8.00
4	कर समायोजन प्रभाव:		
(i)	पूर्ववर्ती वर्षों के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	0.53	1.28
(ii)	पिछले अस्वीकृत कर घाटों का उपयोग	-	-
(iii)	दर अंतर प्रभाव	-	-
(iv)	कर से छूट प्राप्त आय पर कर	-	-
(v)	कर प्रयोजनों हेतु गैर कटौती योग्य व्यय		
	अन्य देशों के अतिरिक्त कर	-	-
	अन्य गैर कटौती योग्य व्यय	0.08	4.15
(vi)	विभिन्न अन्य मदों पर प्रभाव	3.45	-5.63
5	**लाभ एवं हानि विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय**	**14.68**	**7.80**
6	प्रभावी कर दर	34.78%	24.55%

(ग) तुलन पत्र और लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत आस्थगित कर (परिसंपतियां) और देयताएं

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	विवरण	तुलन पत्र		लाभ हानि विवरण	
		31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
1	परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित) : बही में अंतर-मूल्यह्रास एवं आयकर मूल्यह्रास	-0.02	-0.09	-0.07	0.05
2	प्राथमिक व्ययों का प्रभाव	1.04	1.56	0.52	0.59
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के अंतर्गत अस्वीकृत मदें	1.52	3.99	2.47	-3.99
4	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु स्वीकार्य।	-	-	-	-
5	वित्तीय माध्यमों का उचित मूल्यांकन	-	-	-	-
6	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुवल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि	-	-	-	-
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां /(देयताएं)	**2.54**	**5.46**	**2.92**	**-3.35**

(घ) तुलन पत्र में प्रदर्शित निम्नानुसार:

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
1	आस्थगित कर परिसंपतियां	2.56	5.55
2	आस्थगित कर देयताएं	-0.02	-0.09
	आस्थगित कर परिसंपतियां /(देयताएं) (निवल)	**2.54**	**5.46**

नोट: आस्थगित कर परिसंपतियों और आस्थगित कर देयताओं को ऑफसेट किया गया है क्योंकि वे समान शासी नियमों से संबंधित हैं।

(ड.) आस्थगित कर (देयताओं) और परिसंपतियों का समायोजन :

31 मार्च 2021 को

(रूपए लाख में)

क्र.सं	विवरण	1अप्रैल 2020 को शेष (निवल)	लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकृत	31 मार्च 2021 को शेष (निवल)
1	परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित) : बही में अंतर-मूल्यह्रास एवं आयकर मूल्यह्रास	-0.09	0.07		-0.02
2	प्राथमिक व्ययों का प्रभाव	1.56	-0.52		1.04
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के अंतर्गत अस्वीकृत मदें	3.99	-2.47		1.52
4	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु स्वीकार्य।				-
5	वित्तीय माध्यमों का उचित मूल्यांकन				-
6	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुवल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि				-
	निवल आस्थगित कर परिसंपतियां /(देयताएं)	5.46	-2.92	-	2.54

31 मार्च 2020 को

(रूपए लाख में)

क्र.सं	विवरण	1अप्रैल 2019 को शेष (निवल)	लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकृत	31 मार्च 2020 को शेष (निवल)
1	परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित) : बही में अंतर-मूल्यह्रास एवं आयकर मूल्यह्रास	-0.04	-0.05		-0.09
2	प्राथमिक व्ययों का प्रभाव	2.15	-0.59		1.56
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के अंतर्गत अस्वीकृत मदें	-	3.99		3.99
4	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु स्वीकार्य।	-	-		-
5	वित्तीय माध्यमों का उचित मूल्यांकन				-
6	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुवल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि				-
	निवल आस्थगित कर परिसंपतियां /(देयताएं)	2.11	3.35	-	5.46

6 चालू परिसंपत्यिां वित्तीय परिसंपतियां

6.1 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां व्यापार प्राप्य

(रूपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च 2021 को**	**31 मार्च 2020 को**
वसूली योग्य : अरक्षित	4,429.14	11,461.22
संदिग्ध समझे गएः अरक्षित	-	-
कुल	**4,429.14**	**11,461.22**

6.2 चालू वित्तीय परिसंपतियां - रोकड़ और रोकड़ समतुल्य

(रूपए लाख में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
उपलब्ध रोकड		-	-
उपलब्ध चैक/ड्राफ्ट		-	-
पारगमन में प्रेषण		-	-
बैंकों में शेष:			
-चालू खाता		6.69	1.04
-फ्लैक्सी खाता		31.00	29.00
-तीन महीने से कमी की मूल परिवक्वता वाली जमा राशि		-	340.95
		37.69	**370.99**

6.3 चालू वित्तीय परिसंपतियां - अन्य बैंक शेष

(रूपए लाख में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
अन्य बैंक शेष			
तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीनों से कमी की मूल परिवक्वता वाली जमा राशि		-	-
		-	-

6.4 चालू वित्तीय परिसिंपतियां - ऋण

(रूपए लाख में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
क. वसूली योग्य रक्षित			
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम		-	-
ख. अरक्षित, वसूली योग्य			
(i) संबंधित पक्षों को ऋण:			
(ii) अन्य:			
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम*		0.20	0.20
कुल		**0.20**	**0.20**

*निदेशकों से देय राशि का विवरण

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
स्टाफ के ऋण व अग्रि से संचित ब्याज सहित निदेशकों से देय राशि		
कुल	-	-

6.5 चालू परिसंपत्तियां - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
वसूली योग्य : अरक्षित		
संचित ब्याजः		
स्टाफ को अग्रिम	-	-
- बैंक में जमा राशियां	0.09	0.26
संविदागत परिसंपत्तियां :		
- बिल योग्य राजस्व/प्राप्त किन्तु देय नहीं	22,388.71	26,642.86
- ग्राहकों से आहरित राशि	636.78	-
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - शोध्य	**23,025.58**	**26,643.12**
संदिग्ध समझे गाए - अरक्षित		
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - संदिग्ध	-	-
कुल	**23,025.58**	**26,643.12**

7 चालू परिसंपत्तियां - चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(रूपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च 2021**	**31 मार्च 2020**
टीडीएस एवं अग्रिम कर सहित प्रदत्त कर (कर के लिए प्रावधान का निवल)	1,001.89	833.41
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	**1,001.89**	**833.41**

चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(रूपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च 2021**	**31 मार्च 2020**
प्रदत्त करः		
आयकर - टीडीएस	1,013.12	843.28
घटाः कर हेतु प्रावधान	-11.23	-9.87
कुल	**1,001.89**	**833.41**

8 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
वसूलीयोग्य : अरक्षित		
पूंजीगत अग्रिमों से इतर अग्रिम		
ठेकेदारों आपूर्तिकर्ताओं व अन्यों को अग्रिम	2,196.85	9,224.40
वसूली योग्य अग्रिम		
- वस्तु एवं सेवा कर	7,229.91	3,822.47
संचित ब्याज		
ठेकेदार, अपूर्तिकर्ता एवं अन्य के पास जमा राशि व अग्रिम	114.07	359.41
पूर्व प्रदत्त व्यय	69.60	52.95
उचित मूल्य समायोजन	-	-
संदिग्ध समझे गए: अरक्षित	-	-
कुल	**9,610.43**	**13,459.23**

9 इक्विटी शेयर पूंजी

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
जारी/अंशदायी एवं प्रदत्त शेयरपूंजी		
1,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रूपए		
(31 मार्च 2020 को 10 रूपए के पूर्णत् प्रदत्त 100,00,000 इक्विटी शेयर)	1,000.00	1,000.00
	1,000.00	1,000.00

(क) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयरों की शेयरधारिता का ब्यौरा

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी-इरकॉन)	100,000,000	**100.00%**	100,000,000	**100.00%**

(ख) रिपोर्टिंग अवधि से तत्काल पांच वर्ष की अवधि के लिए बोनस के रूप में जारी शेयर, रोकड़ से इंतर जारी किए गए इक्विटी बायबैक किए गए शेयरों की समग्र संख्या।

	31 मार्च 2021 को	31 मर्च 2020 को
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
रोकड़ से इतर जारी इक्विटी शेयर	-	-
बोनस शेयरों के रूप में जारी इक्विटी शेयर	-	-
इक्विटी शेयर बायबैक	-	-
कुल	-	-

(ग) इक्विटी शेयरों से संबद्धशर्तें/अधिकार:

(i) मतदान :

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका प्रति शेयर 10 रुपये का सममूल्य मूल्य है।इक्विटी शेयर का

(ii) परिसमापन:

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी प्रेफरेंशियल राशियों के संवितरण के पश्चांत, कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

(iii) लाभांश :

निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन में अध्याधीन है।

(घ) वर्ष के आरंभ और अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का विनियोजन

विवरण	31 मार्च 2021		31 मार्च 2020	
	शेयरों की संख्या	लाख रूपए में	शेयरों की संख्या	लाख रूपए में
वर्ष के आरंभ में जारी/अंशदायी और प्रदत्त इक्विटी शेयर	100,000,000	10,000.00	100,000,000	10,000.00
जमाः वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
घटाः वर्ष के दौरान बाय बैक शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में जारी/अंशदायी और प्रदत्त इक्विटी शेयर	**100,000,000**	**10,000.00**	**100,000,000**	**10,000.00**

10 अन्य इक्विटी

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
प्रतिधारित आमदनी	56.52	28.98
सामान्य आरक्षित निधि	-	-
अन्य आरक्षित निधि	12,577.00	12,577.00
अन्य वृहत आय	-	-
कुल	**12,633.52**	**12,605.98**

(ख) अन्य आरक्षित निधि

सीएसआर गतिविधि आरक्षित निधि	-	-
घटा: लाभ एवं हानि विवरण में अतिरेक से अंतरण	-	-
कुल	-	-

i) **निम्नानुसार संचलन:**

(क) प्रतिधारण आमदनी		
आरंभिक शेष	28.98	4.99
जमा: इंड एएस समायोजन		
लाभ एवं हानि विवरण में अतिरेक से अंतरण	27.54	23.99
समापन शेष	**56.52**	**28.98**
(ख) आरक्षित निधि		
आरंभिक शेष	-	-
जमा: प्रतिधारण आय से अंतरण	-	-
समापन शेष	**-**	**-**
(ग) अन्य आरक्षित निधि		
आरंभिक शेष	12,577.00	-
जमा: वर्ष के दौरान संवर्धन		12,577.00
समापन शेष	**12,577.00**	**12,577.00**
(घ) अन्य वृहत आय		
आरंभिक शेष	-	-
ओसीआई के माध्यम से ऋण उपकरण	-	-
वर्ष के दौरानविदेशी मुद्रा अंतरण (कर का निवल)	-	-
समापन शेष	**-**	**-**
सकल योग (क+ख+ग+घ)	**12,633.52**	**12,605.98**

ii) **अन्य आरक्षिति निधियों की प्रकृति और प्रयोजन**

(क) प्रतिधारित आमदनियां

कंपनी के अवितरित लाभों को प्रस्तुत करती प्रतिधारित आमदनियां

(ख) सामान्य आरक्षित निधि

सामान्य आरक्षित निधि सांविधिक आरक्षित निधि को दर्शाता है, जो कॉर्पोरेट कानून के अनुसार है जिसमें लाभ का एक भाग सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाता है। कंपनीअधिनियम, 2013 के तहत, सामान्य आरक्षित निधि के लिए किसी भी राशि का हस्तांतरण कंपनी के विवेक पर निर्भर करता है।

(ग) अन्य आरक्षित निधि

कंपनी ने इरकॉन, धरक कंपनी से ब्याज मुक्त अग्रिम प्राप्त किया है।

(घ) अन्य वृहत आय की मदें

अन्य वहृत आय विदेशी प्रचालनों के अंतरण पर विनिमय अंतर के कारण उत्पन्न शेष को प्रदर्शित करता है।

11 गैर-चालू देयताएं - वित्तीय देयताएं

11.1 गैर-चालू वित्तीय देयताएं - ऋण

(रूपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च 2021**	**31 मार्च 2020**
<u>अरक्षित</u>		
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से ऋण	57,118.14	18,100.00
कुल	**57,118.14**	**18,100.00**

<u>नोट</u>

(क) **<u>अरक्षित ऋण की निबंधन और शर्तें :</u>**
सावधिक ऋण का पुनर्भुगतान निर्धारित तिमाही किश्तों में10.5 वर्षों में किया जाएगा जो 01 जनवरी 2022 से आरंभ होगी।

(ख) **ब्याज की दर :**
कंपनी एसबीआई की एक वर्ष की एमसीआरएल बेस रेट और समय-समय पर प्रचलित 0.50% ("लागू ब्याज दर")की दर से, ऋण की मूल राशि पर ब्याज और समय-समय पर बकाया भुगतान करेगी। (लागू ब्याज कर, सेवा कर और / या इस तरह के किसी भी अन्य कर / लेवी / कर्तव्यों के अनन्य)। इस तरह के करों / लेवी / कर्तव्यों, यदि कोई हो, लागू, उधारकर्ता को उधारकर्ता द्वारा देय (उसी तरीके और समय और मूलधन और ब्याज के रूप में) देय होगा।

11.2 गैर चालू देयताएं- अन्य वित्तीय देयताएं

(रूपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च 2021**	**31 मार्च 2020**
ग्राहकों से अग्रिम पर देय ब्याज	-	708.32
कुल	**-**	**708.32**

12 चालू देयताएं - वित्तीय देयताएं

12.1 चालू वित्तीय देयताएं - व्यापार प्राप्य

(रूपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च 2021**	**31 मार्च 2020**
(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम	-	-
(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम से इतर		
(i) ठेकेदार व आपूर्तिकर्ता	19.61	37.99
(ii) संबंधित पक्ष - इरकॉन	208.17	16,460.43
कुल	**227.79**	**16,498.42**

नोट

क) कंपनी अधिनियम, 2013/ सूक्षम, लघु एवं मध्यसम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी) के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटन नोट 32 पर उपलब्ध हैं।

ख) संबंधित पक्षों से संबंधित शर्तें एवं निबंधन और अन्य शेष नोट 27 में प्रकट किए गए हैं।

12.2 चालू देयताएं - अन्य वित्तीय देयताएं

(रूपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च 2021**	**31 मार्च 2020**
दीर्घकालपीन ऋणों की चालू परिपक्वता: इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से ऋण	1,831.86	
ग्राहकों से अग्रिम पर देय ब्याज	1,025.14	-
जमा राशियां, प्रतिधारण राशि और आहरित राशि - संबंधित पक्ष - इरकॉन	72.54	-
अन्य देय राशियां (स्टाफ देय सहित)	0.21	3.87
कुल	**2,929.74**	**3.87**

13 अन्य वित्तीय देयताएं

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
क) संविदागत देयताएं		
ग्राहकों से अग्रिम	4,662.50	9,325.00
ख) अन्य अग्रिम		
अन्यों से अग्रिम	-	-
ग) अन्य		
सांविधिक देय	363.05	718.47
कुल	**5,025.55**	**10,043.47**

नोट:

क) वस्त् एवं सेवा कर (जीएसटी), टीडीएस, भविष्य निधि और अन्य सांविधिक देय सहित सांविधिक देय राशियां।

14 प्रचालन से राजस्व

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
संविदा राजस्व *(संदर्भ नोट सं. 31 एवं 33)*	48,761.53	61,928.13
कुल	**48,761.53**	**61,928.13**

15 अन्य आय

(रूपए लाख में)

विवरण		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज आय:			
स्टाफ अग्रिम पर ब्याज		-	0.01
इरकॉन से अन्य अग्रिमों पर ब्याज		-	-
बैंक ब्याज		42.22	31.78
अन्य:			
प्राप्त बीमा दावा	126.40		
घटा : इरकॉन को अंतरित बीमा दावा	-126.40	-	-
कुल		**42.22**	**31.79**

16 परियोजना एवं अन्य व्यय

(रूपए लाख में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
परियोजना व्यय			
कार्य व्यय		46,666.37	60,905.84
किराया - गैर आवासीय	(i)	2.73	2.73
दरें एवं कर		0.30	0.90
वाहन प्रचालन एवं अनरक्षण		0.34	0.07
बीमा		108.57	100.93
यात्रा एवं कन्वेयंस		0.13	1.93
मद्रण एवं स्टेशनरी		0.35	0.35
डाक टेलीफोन व टैलेक्स		0.07	-
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार		6.25	13.90
परिसंपत्तियों की बिक्री से हानि		-	0.07
विज्ञापन और प्रचार		1.21	-
विविध व्यय		0.89	0.47
उपकल (क)		46,787.21	61,027.19
अन्य व्यय			
लेखापरीक्षक पारिश्रमिक - उपकल (ख)	(ii)	1.20	1.05
कुल (क + ख)		**46,788.41**	**61,028.24**

(i) किराए के रूप में इरकॉन को 2.32 लाख रूपए (2.32 लाख रूपए), जीएसटी को छोड़कर भुगतान किए गए।

(ii) **सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान**

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) लेखापरीक्षा शुल्क - चालू वर्ष	0.75	0.55
(ख) कर लेखापरीक्षा शुल्क - चालू वर्ष	0.10	0.10
(ग) तिमाही सीमित समीक्षा हेतु शुल्क	0.30	0.30
(घ) प्रमाणन शुल्क	0.05	0.10
(घ) यात्रा एवं आउट ऑफ पॉकेट व्यय		
यात्रा व्यय	-	-
आउट ऑफ पॉकेट व्यय	-	-
कुल	**1.20**	**1.05**

17 कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ

(रूपए लाख में)

विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन, परिश्रमिक एवं बोनस		152.43	127.53
भविष्य एवं अन्य निधि में अंशदान		11.31	9.21
सेवानिवृत्ति लाभ		22.40	18.71
स्टाफ कल्याण		-	0.64
कुल		**186.14**	**156.09**

18 वित्तीय लागत

(रूपए लाख में)

विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	
आयकर पर ब्याज आय			0.00		0.57
अन्य ऋण लागत					
बैंक गारंटी और अन्य प्रभार			13.47		16.16
इरकॉन से ऋण पर ब्याज			1,772.73		629.75
एनएचएआई से प्राप्त मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज व्यय		342.51		787.02	
घटाः इरकॉन को प्रदान मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज व्यय		(342.18)	0.33	(690.12)	96.90
कुल			**1,786.53**		**743.38**

19 मूल्यह्रास परिशोधन एवं हानि

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेत	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
परिसंपत्ति , संयंत्र एवं उपकरण	0.45	0.42
परिसंपत्तियों की हानि	-	-
कुल	**0.45**	**0.42**

नोट: -20

क. उचित मूल्य मापन

(i) वित्तीय साधनों का श्रेणीवार वर्गीकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को इन वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर मापा जाता है और उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। तीन स्तरों को माप के लिए महत्वपूर्ण आदानों के अवलोकन के आधार पर परिभाषित किया गया है:

स्तर 1: समान संपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में कोट किया गया मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2: स्तर 1 के भीतर शामिल कोट की गई कीमतों के अतिरिक्त अन्य इनपुट जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं।

स्तर 3: संपत्ति या देयता के लिए अप्रचलित इनपुट।

क) दिनांक 31 मार्च, 2021 तक श्रेणियों द्वारा वित्तीय साधनों के उचित मूल्य और उचित मूल्य इस प्रकार हैं: *

(रूपए लाख में मैं**)**

विवरण	**वहन मूल्य**	**उचित मूल्य**		
		स्तर 1	**स्तर 2**	**स्तर 3**
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्यिां (**'एफवीटीपीएल'**)				
म्युचुवल फंड में निवेश	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
परिशाधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश				
करमुक्त बांडों में निवेश	-	-	-	-
(ii) ऋण	-	-	-	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	63,851.93	-	-	63,851.93
कुल	**63,851.93**	-	-	**63,851.93**

(रूपए लाख में)

विवरण	**वहन मूल्य**	**उचित मूल्य**		
		स्तर 1	**स्तर 2**	**स्तर 3**
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
(i) ऋण	57,118.14	-	-	57,118.14
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	2,929.74	-	-	2,929.74
कुल	**60,047.88**			**60,047.88**

ख) दिनांक 31 मार्च 2020 को श्रेणी द्वारा वित्तीय माध्यमों का वहन मूल्य एवं उचित मूल्य निम्नानुसार है: *

(रूपए लाख में)

विवरण	**वहन मूल्य**	**उचित मूल्य**		
		स्तर 1	**स्तर 2**	**स्तर 3**
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्यिां (**'एफवीटीपीएल'**)				
म्युचुवल फंड में निवेश	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
परिशाधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश				
करमुक्त बांडों में निवेश	-	-	-	-
(ii) ऋण		-		
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	32,828.66	-		32,828.66
कुल	**32,828.66**	-	-	**32,828.66**

(रूपए लाख में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
(i) ऋण	18,100.00	-	-	-
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	712.19			712.19
कुल	**18,812.19**			

"प्रबंधन ने मूल्यांकन किया कि नकदी और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्य, व्यापार का भुगतान, बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियां इन उपकरणों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण बड़े पैमाने पर उनकी ले जाने की मात्रा को अनुमानित करती हैं।"

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को उस मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी परिसंपत्ति की बिक्री पर प्राप्त होता है या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है। निष्पक्ष मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया गया था:

i) म्युचुवल फंड इकाइयों में निवेश का उचित मूल्य नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) पर आधारित है, जैसा कि तुलनपत्र की तारीख में प्रकाशित विवरणों में इन म्यूचुअल फंड इकाइयों के जारीकर्ताओं द्वारा प्रकट किया गया है। एनएवी उस मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर जारीकर्ता म्यूचुअल फंड की आगे की इकाइयाँ जारी करेगा और जिस मूल्य पर जारीकर्ता ऐसी इकाइयों को निवेशकों से भुनाएगा।

ii) वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों और वर्तमान वित्तीय देनदारियों की मात्रा उनके मुख्य रूप से अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य को निर्धारित करती है। चूंकि मापन के प्रयोजन से ये इंड एएस-109 के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उपर्युक्त तालिका में इनका प्रकटन नहीं किया गया है।

* वित्त वर्ष 2019-20 और 2018-19 के दौरान, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के उचित मूल्य मापों के बीच कोई स्थानान्तरण नहीं हुआ।

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियां, ऋण और अन्य वित्तीय देनदारियां हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालन को वित्तपोषित करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में एनएचएआई से रोकड़ और रोकड़ समतुल्य और वसूली योग्य राशियां शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी की गतिविधियाँ विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों को प्रस्तुत करती हैं: जैसे बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। बाजार जोखिम में ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और अन्य गैर-डेरिवेटिव वित्तीय साधन शामिल हैं।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

शून्य है।

(ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बाजार के ब्याज दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। कंपनी अपने ब्याज जोखिम का प्रबंधन कंपनियों की नीतियों और जोखिम उद्देश्य के अनुसार करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में बैंकों के पास जमा राशि शामिल है। इन वित्तीय साधनों पर ब्याज दर का जोखिम बहुत कम है, क्योंकि वित्तीय साधनों की अवधि के लिए ब्याज दर निर्धारित है। इसके अतिरिक्त कंपनी कों ऋणों/कर्ज पर कोई जोखिम नहीं है क्योंकिं वह ब्याज की नियत दर पर हैं।

ग) ऋण जोखिम

कंपनी की ग्राहक प्रोफ़ाइल में भारत और विदेश में रेल मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियां शामिल हैं। तदनुसार, कंपनी का ग्राहक ऋण जोखिम कम है। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने है। सामान्य भुगतान शर्तों में एकत्र अग्रिम, 45 से 60 दिनों की ऋण अवधि के साथ मासिक प्रगति भुगतान और परियोजना के अंत में जारी किए जाने वाले कुछ अवधारण शामिल हैं। कुछ मामलों में बैंक / कॉरपोरेट गारंटी के साथ प्रतिधारण प्रतिस्थापित किया जाता है। कंपनी के पास संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों पर अतिदेय ग्राहक प्राप्तियों की एक विस्तृत समीक्षा तंत्र है, जो उचित ध्यान और प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करता है।

व्यापार और अन्य प्राप्य

ऋण जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। ग्राहक की जनसांख्यिकी, जिसमें उद्योग और उस देश का डिफ़ॉल्ट जोखिम शामिल है जिसमें ग्राहक संचालित होता है, का भी ऋण जोखिम मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है।

ऋण जोखिम का खतरा

(रूपए लाख में**)**

विवरण	**31/03/2021 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31/03/2020 को समाप्त वर्ष हेतु**
वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए जीवनकाल संभावित ऋण हानियों (एलईसीएल) के प्रयोग द्वारा प्रावधान को मापा गया		
गैर चालू निवेश	-	-
गैर चालू ऋण	-	-
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	40,826.35	-
चालू निवेश	-	-
रोकड एवं रोकड समतुल्य	37.69	390.27
अन्य बैंक शेष	-	-
चालू ऋण	0.20	0.20
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	32,638.54	40,107.80
सरलीकरण परिदृश्य का उपयोग करके स्वीकृति मापन हेतु वित्तीय परिसंपत्तियां		
व्यापार प्राप्य	4,429.14	-
संविदागत परिसंपत्तियां	22,388.71	26,642.86

सरलीकरण परिदृश्य का उपयोग करके हानि प्रावधान में परिवर्तन का सार

विवरण	**31/03/2021**	**31/03/2020**
आरंभिक प्रावधान	**-**	**-**
वर्ष हेतु प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
बट्टा खता राशि	-	-
समापन प्रावधान	**-**	**-**

जीवनकाल संभावित ऋण घाटा (एलईसीएल) दृष्टिकोण का उपयोग करके हानि भत्ते में परिवर्तन का सारांश

विवरण	31/03/2021	31/03/2020
आरंभिक प्रावधान	-	-
वर्ष हेतु प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
बट्टा खता राशि	-	-
(विनिमय लाभ)/हानि	-	-
समापन प्रावधान	-	-

समीक्षा अवधि के दौरान अनुमान तकनीकों या मान्यताओं में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया या था।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने शून्य रूपए (शून्य रूपए) की हानि के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है।

ग) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है, जिसके अंतर्गत कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं होती है जब ये दायित्व देय हो जाते हैं। कंपनी यह सुनिश्चित करके अपनी तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है,कि जहां तक संभव हो, देय होने पर अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त नकदी उपलब्ध रखे।

कंपनी का निगमित ट्रेजरी विभाग तरलता (नकदी), वित्तपोषण और निपटान संबंधी प्रबंधन के लिए भी उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के जोखिम से संबंधित प्रक्रियाएं और नीतियां पर वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा निगरानी रखी जाती हैं।

एनएचएआई बांड निश्चित ब्याज दर वहन करते हैं, इस प्रकार वे बांड लाभ दरों में बदलाव से प्रभावित नहीं होते हैं और म्यूचुअल फंड अत्यधिक तरल संपत्ति होते हैं जिन्हें मासिक और फिर से निवेश किया जाता है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2021 तथा 31 मार्च 2020 तक महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता का विवरण प्रस्तुत करती है:

(रूपए लाख में)

विवरण		31 मार्च 2021 को	
	1 वर्ष से कम	**1-2** वर्ष	2 वर्ष और अधिक
ऋण	-	7,327.44	49,790.70
व्यापार प्राप्य	227.79	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	2,929.74	-	-

(रूपए लाख में)

विवरण		31 मार्च 2020 को	
	1 वर्ष से कम	**1-2** वर्ष	2 वर्ष और अधिक
ऋण	-	1,723.81	16,376.19
व्यापार प्राप्य	16,498.42	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	3.87	-	-

घ) अत्यधिक जोखिम एकाग्रता

जब कई समकक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों, या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में गतिविधियों में लगे होते हैं, जो आर्थिक, राजनीतिक या अन्य स्थितियों में परिवर्तन से प्रभावित होने के लिए संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता का कारण बनती हैं। जोखिम किसी विशेष उद्योग को प्रभावित करने वाले विकास हेतु कंपनी के निष्पादन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है।

जोखिम की अत्यधिक संभावना से बचने के लिए, कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविध पोर्टफोलियो के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल हैं। क्रेडिट जोखिमों की पहचान की गई सांद्रता को उसी के अनुसार नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है।

निम्नलिखित तालिका परियोजना से राजस्व का ब्यौरा प्रस्तुत करती है:

विवरण	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31.03.2020 तक की अवधि हेतु**
परियोजना से राजस्व	48,761.53	61,928.13
	48,761.53	**61,928.13**

ग. पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी क्षमता को बनाए रखने और सुरक्षित रखने की क्षमता के रूप में अपनी पूंजी का प्रबंधन करना है ताकि कंपनी शेयरधारकों को अधिकतम रिटर्न प्रदान कर सके और अन्य हितधारकों को लाभ दे सके। कंपनी ने निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश का भुगतान इस प्रकार किया है: -

लाभांश:

विवरण	**31 मार्च 2021**	**31 मार्च 2020**
लाभांश	-	-
कुल	-	-

इसके अतिरिक्त, कंपनी आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन और वित्तीय प्रतिबद्धताओं की आवश्यकताओं के आलोग में समायोजन हेतु कंपनी पूंजीगत कार्यों का कर रही है।

कर्ज इक्विटी अनुपात :- **(**रूपए लाख में**)**

विवरण	**31-मार्च-20**	**31-मार्च-19**
ऋण (नोट सं 11.1)	57,118.14	18,100.00
दीर्घकालीन ऋण	**57,118.14**	**18,100.00**
इक्विटी (नोट सं.9)	1,000.00	1,000.00
अन्य इक्विटी (नोट सं.10)	12,633.52	12,605.98
कुल इक्विटी	**13,633.52**	**13,605.98**
ऋण इक्विटी अनुपान	**4.19**	**1.33**

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु लेखों संबंधी नोट

21. आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां:

(i) आकस्मिक देयता:

(क) कंपनी के प्रति दावा जिस ऋण नहीं माना गया है - शून्य

(ख) वित्तीय गारंटियों को छोड़कर गारंटियां - शून्य

(ii) **आकस्मिक परिसंपत्तियां: शून्य**

22. प्रतिबद्धता:

(क) पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (अग्रिमों का निवल) **शून्य रूपए (शून्य) ।**

(ख) अन्य प्रतिबद्धताएं

अन्य प्रतिबद्धताओं पर खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष संविदाओं की अनुमानित राशि 39,335.35 लाख रूपए (798,67.08 लाख रूपए) है।

23. (क) एनएचएआई (ग्राहक) के अंतर्गत दर्शाए गए शेष पुष्टि/समायोजन/ पुनर्विनियोजन, यदि कोई हो के अध्याधीन हैं। कंपनी पक्षों से पुष्टि हेतु पत्र भेज रही है। तथापि, इसकी वसूलीयोग्यता/भुगतान के सबंध में यहां कोई तथ्यात्मक विवाद नहीं है।

(ख) प्रबंधन के मतानुसार, व्यावसाय की सामान्य प्रक्रिया में वसूली पर चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस पर उसे तुलनपत्र में अंकित किया गया है।

(ग) दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए टीडीएस प्राप्य राशि, समाशोधन के अधीन है क्योंकि टीडीएस कटौतीकर्ताओं ने अपने टीडीएस रिटर्न नहीं भरे हैं, जिसकी देय तिथि वर्तमान मं 30 जून 2021 है।

(घ) मार्च 2021 माह में ग्राहकों के पक्ष में जारी 662.05 लाख रूपए की राशि के दो क्रेडिट नोट को दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है किन्तु क्रेडिट नोटों को मई 2021 में दायर अप्रैल 2021 माह की जीएसटी रिटर्न में विचार किया गया है।

24. (क) लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत विदेशी विनिमय उच्चावचन - शून्य

(ख) अनहैज्ड विदेशी मुद्रा प्रभाव का प्रकटन - शून्य

(ग) विदेशी मुद्रा में अर्जन (संचित आधार पर) - शून्य

(घ) विदेशी मुद्रा में व्यय (संचित आधार पर) - शून्य

(ड.) आयातों का सीआईएफ मूल्य - शून्य

(च) सामग्री एवं एम्प; प्रयुक्त भंडारण - शून्य

25. पट्टों संबंधी प्रकटन

I. पट्टाधारक के रूप में कंपनी:

एक पट्टाधारक के रूप में कंपनी ने पट्टा संविदाओं में प्रवेश किया है, जिसमें कार्यालय स्थल का पट्टा शामिल है। इंड एएस 116 की स्वीकार करने से पूर्व, कंपनी अपनी आरंभिक तिथि को अपने प्रत्येक पट्टे (पट्टाधारक के रूप में) का वर्गीकरण प्रचालन पट्टे के रूप में करती थी।

कंपनी के पास कार्यालयों के कतिपय पट्टे हैं जहां पट्टा अवधि 12 महीने या कम है। कंपनी इन पट्टों के लिए अल्पकालीन पट्टा स्वीकृति छूट को लागू करती है।

कंपनीकी पट्टा व्यवस्थाएं कार्यालयों के पट्टों के प्रीमियमों के संबंध में है। पट्टा व्यवस्थाएं रद्द किए जाने योग्य हैं और इन्हें सामान्य रूप से आपसी सहमत शर्तों पर नवीकृत किया जाता है। वर्ष के दौरान पट्टा भुगतानों की राशि निम्नानुसार है:

(क) कार्यालय परिसरों के संबंध में पट्टा प्रीमियम **2.73 लाख** (2.73 लाख) - (नोट 16 पर परियोजना व्यय में शामिल)।

-

।।. पट्टाकर्ता के रूप में कंपनी : शून्य

26. सेगमेंट रिर्पोटिंग

कंपनी केवल भारत में प्रचालन कर रही है जो एकल सेगमेंट है, अत: भौगोलिक रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।

27. संबंधित पक्ष प्रकटन : इंड एएस के अनुसार चिह्नित किए जाने वाले संबंधित पक्ष

(क) उपक्रम जहां नियंत्रण विमान है -

(i) धारक कंपनी :

- इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी की सम्पूर्ण इक्विटी यपूंजी धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और उसके नामितियों के पास धारित है)|

(ख) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

इरकॉन से निदेशक :- श्री एस एल गुप्ता (13.05.2021 को पदमुक्त), श्री अशोक कुमार गोयल, श्री आर.एस यादव (31.10.2020 को पदमुक्त), श्री सुरजीत दत्ता और श्री राज कुमार (22.02.2021 से), श्री योगेश कुमार मिश्रा (13.05.2021 से) और सुश्री रितु अरोड़ (13.05.2021 से)।

अन्य: श्री एम.के. सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (दिनांक 22.12.2020 से कार्यमुक्त हुए), श्री एन के जी असती, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (22.11.2020 से), श्री राज कुमार, मुख्य वित्त अधिकारी और रिची महाजन, कंपनी सचिव।

(iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के परिश्रमिक का ब्यौरा:-

क्र.सं.	विवरण	2020-21	2019-20
I	वेतन एवं भत्ते*	34.73	43.37

II	भविष्य निधि, पेंशन में अंशदान	6.68	6.18
III	बैठक शुल्क	-	-
IV	अन्य भत्ते	12.00	13.87
	कुल	**53.41**	**63.42**

*इरकॉन वीकेईएल में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अंशकालीन निदेशक को धारक कंपनी के बोर्ड द्वारा नामित किया गया है, जो कंपनी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहे हैं। अंशकालीन निदेशकों को कोई बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है।

(**iv**) दिनांक 31 मार्च 202**1** को समाप्त वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष संव्यवहार:

(रूपए लाख में)

विवरण	**संव्यवहार (रूपए हजार में)**	**बकाया राशि 31.03.2021 को (रूपए)**
इरकॉन वीकेईएल की इक्विटी में निवेश	शून्य (रू. 4,00.00)	रू. 10,00.00 (रू. 10,00.00)
इरकॉन द्वारा इरकॉन वीकेईएल को उपलब्ध ब्याज मुक्त अग्रिम	शून्य (रू. 125,77.00)	रू. 125,77.00 (रू. 125,77.00)
इरकॉन द्वारा इरकॉन वीकेइएल को प्रदान किया गया ऋण	(रू. 408,50.00 (रू. 181,00.00)	रू. 589,50.00 (रू.181,00.00)
ऋण पर प्रदत्त/देय ब्याज	Rs 17,72.73 (रू. 6,29.75)	शून्य (शून्य)
उपर्युक्त प्रमुख प्रबंधन कार्मिक को पारिश्रमिक (iii)	Rs 53.41 (रू. 63.42)	शून्य **(शून्य)**
इरकॅन को लेपटॉप की बिक्री	शून्य (Rs 0.47}	शून्य (शून्य)
कार्यशील व्यय	रू. 465,51.02 (रू. 607,97.60)	रू. 2,75.53 (रू. 164,50.06)
इरकॉन को प्रारंभिक खर्च, वेतन और पारिश्रमिक, भविष्य निधि अंशदान, किराया, प्रदत्त टीडीएस, बीजी	(रू..75.22 (रू. 333.95)	रू. 5.17 (रू. 10.38)

शुल्क, अन्य खर्चों और कर्मचारियों को अग्रिम आदि की प्रतिपूर्ति		
प्रदत्त बीमा दावा	रू.1,26.40 (शून्य)	शून्य **(शून्य)**
इरकॉन को उपलब्ध कराए गए मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज	शून्य (रू. 154,06.00)	रू. 21,96.85 (रू. 92,24.40)
इरकॉन को प्रदान कराए गए मोबिलाइजेशन अग्रिम पर प्राप्त/प्राप्य ब्याज	रू. 3,42.18 (रू. 6,90.12)	रू. 1,14.07 (रू. 3,59.41)

वर्तमान वर्ष के आंकडों से भिन्नता प्रदान करने के लिए पिछले वर्ष के आंकडे प्रकोष्ठ ( ) में उपलब्ध हैं।

28. वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड-133 के अंतर्गत अधिसूचित इंड एएस-36 "परिसंपत्तियों की हानि" के अनुसार निवल वसूलीयोग्य मूल्य और वहनीय लागत के निम्नतर के आधार पर वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण द्वारा व्यक्तिगत परिसंपत्तियों की हानि का आकलन किया है। तदनुसार, शून्य रूपए की हानि के लिए प्रावधान किया गया है।

29. इंड एएस 33 "प्रति शेयर आमदनी" के अनुसार प्रकटन:

विवरण	**31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2020 तक की अवधि हेतु**
इक्विटी धारकों को लाभ (रूपए लाख में)	27.54	23.99
मूल और विलयित ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की वेटिड औसत संख्या	1,00,00,000	81,20,219
प्रति शेयर आमदनी (मूल)	0.28	0.30

प्रति शेयर आमदनी (विलयित)	0.28	0.30
प्रति शेयर फेस मूल्य	10.00	10.00

30. कर्मचारी लाभों पर इंड एएस - 19 के अंतर्गतग प्रकटन

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड में कार्यरत कर्मचारियों धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से प्रतिनियुक्ति/सेगमेंट आधार पर तैनात किया गया है।

लेखांकन मानक -19 की शर्तों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा अपनी लेखांकन नीतियों (नोट सं.2.2.7) के अनुसार किया जा रहा है।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान और पेंशन अंशदान को धारक कंपनी द्वारा नियमित रूप से भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा कराया जाता है।

31. ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व पर इंड एएस -115 के अंतर्गत प्रकटन*

(क) राजस्व से असंयोजन

ग्राहकों के साथ संविदाओं से कंपनी के राजस्व का असंयोजन निम्नानुसार है:

(रूपए लाख में)

	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु					
वस्तुओं और सेवाओं का प्रकार	**रेलवे**	**राजमार्ग**	**इलैक्ट्रिकल**	**भवन**	**अन्य**	**कुल**
निष्पादन दायित्व के संतोष का समय:						
समयोपरि	-	487,61.53 (619,28.13)	-	-	-	487,61.53 (619,28.13)
समय बिंदु पर	-	-	-	-	-	-
कुल	-	487,61.53 (619,28.13)	-	-	-	487,61.53 (619,28.13)
निष्पादन दायित्व के मापन की विधि						

इनपुट विधि	-	487,61.53 (619,28.13)	-	-	-	487,61.53 (619,28.13)
आउटपुट विधि	-	-	-	-	-	-
कुल	-	487,61.53 (619,28.13)	-	-	-	487,61.53 (619,28.13)
भौगोलिक बाजार:						
घरेलू	-	487,61.53 (619,28.13)	-	-	-	487,61.53 (619,28.13)
अंतरराष्ट्रीय	-	-	-	-	-	-
कुल	-	487,61.53 (619,28.13)	-	-	-	487,61.53 (619,28.13)

(ख) सेगमेंट सूचना में प्रकट राशि सहित ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व का विनियोजन:

सेगमेंट रिपोर्टिंग से राजस्व 487,61.53 लाख रूपए (619,28.13 लाख रूपए) है।

(ग) कंपनी ने इंड एएस 115 - "ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व" के अनुप्रयोग हेतु आशाधित पूर्वगामी परिदृश्य को अपनाया है और दिनांक 01 अप्रैल 2018 के प्रतिधारित आमदनी पर इसका शून्य प्रभाव हो।

(घ) संविदा शेष:

(रूपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च 2021 को**	**31 मार्च 2020 को**
व्यापार प्राप्य (नोट 6.1)	4429.14	11461.22
संविदा परिसंपत्तियां (नोट 4.2 व 6.5)	63851.84	32828.40
संविदा दायित्व (नोट 14)	4662.50	9325.00

(i) व्यापार प्राप्य बिना ब्याज के हैं और ग्राहक प्रोफाइल में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शामिल है। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र 24 से 36 महीने का है। सामान्य भुगतान शर्तों में 45 से 60 दिनों की अवधि की ऋण अवधि सहित मासिक प्रगति भुगतान, मोबिलाइजेशन अग्रिम शामिल हैं।

(ii) संविदा परिसंपत्तियों को उस अवधि के ऊपर स्वीकार किया जाता है, जिसमें सेवाएं निष्पादित की गई हैं ताकि ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं के लिए विनिमय में कंपनी के अधिकार को स्पष्ट किया जा सके। इसमें निर्माण संविदा के अंतर्गत ग्राहकों से देय शेष शामिल है, जो तब उत्पन्न होती हैं जब कंपनी संविदाओं की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से धनराशि प्राप्त करती हैं। तथापि राजस्व को इनपुट विधि के अंतर्गत उक्त अवधि में स्वीकार किया जाता है। पूर्व में स्वीकृत संविदा परिसंपत्ति के रूप में और किसी भी राशि को संबंधित शर्तों के संतोषपूर्ण पूरा होने पर पुनः वर्गीकृत किया जाता है अर्थात भावी सेवाएं जो बिल योग्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

(रूपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च 2021 को**	**31 मार्च 2020 को**
वर्ष के आरंभ में संविदागत परिसंपत्तियां	32828.40	100.85
वर्ष के अंत में संविदागत परिसंपत्तियां	63851.84	32828.40
निवल वृद्धि (कमी)	31023.44	32727.55

वर्ष 2020-21 के लिए,पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 31023.44 लाख रूपए (32727.56 लाख रूपए) की निवल वृद्धि हुई है, जो इनपुट विधि पर आधारित राजस्व स्वीकृति के कारण है जबकिकिए गए कार्यों के बिलों को ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत बिनों के समायोजन के पश्चात संविदा की शर्तों के आधार पर प्रमाणित किया गया है।

(iii) निर्माण संविदा से उत्पन्न संविदा दायित्व ग्राहकों से देय शेष हैं और यह तब उत्पन्न होती है जब दीर्घकालीन निर्माण संविदा में विशिष्ट लक्ष्य इनपुट विधि के अंतर्गत स्वीकृत राजस्व से अधिक हो जाता है। अग्रिम राशि को निर्माण अवधि के ऊपर समायोजित किया जाता है जब ग्राहकों से इन्वाइसिंग प्राप्त होती है।

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
वर्ष के आरंभ में संविदागत देयताएं	9325.00	
वर्ष के अंत में संविदागत देयताएं	4662.50	9325.00
निवल वृद्धि (कमी)	(4662.50)	9325.00

- वर्ष 2020-21 के लिए, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 4662.50 लाख रूपए (9325.00 लाख रूपए) की निवल वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम भुगतान और वर्ष के लिए निष्पादित कार्यों के प्रति ग्राहकों से अग्रिम भुगतान के समायोजन के पश्चात है।

(ड.) निम्न अवधि में राजस्व स्वीकृति:

(i) निम्नलिखित तालिका दर्शाती है कि किस प्रकार राजस्व अग्रेणीत संविदा दायित्वों के संबंध में चालू रिपोर्टिंग अवधि में स्वीकार किया जाता है:

(रूपए हजार में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
निर्माण संविदाओं में अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि	4662.50	9325.00
ग्राहाकों से देय राशि	4429.14	11461.22

(ii) वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि में कोई राजस्व स्वीकार नहीं किया गया है जो निष्पादन दायित्व से संबंधित है और पूर्व अवधि में स्वीकृत था।

(च) असंतुष्ट दीर्घकालीन संविधान

निम्नलिखित तालिका दीर्घकालीन निर्माण संविदा के परिणामस्वरूप असंतुष्ट निष्पादन दायित्वों को दर्शाती है:

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
दिनांक 31 मार्च को आंशिक या पूर्ण असंतुष्ट दीर्घकालीन निर्माण संविधान के संव्यहार आवंटित मूल्य की समग्र राशि	रू. 64332.65	रू.107380.56

प्रबंधन आशा करता है कि दिनांक 31 मार्च 2021 को असंतुष्ट संदिवा के संव्यवहार आवंटित मूल्य को भविष्य में निम्नानुसार राजस्व के रूप में स्वीकार किया जाए:

(रूपए लाख में)

	31 मार्च, 2021**	31 मार्च, 2020**
एक वर्ष या कम	64332.65	107380.56
एक वर्ष से दो वर्ष तक	-	-
दो वर्ष से अधिक	-	-
कुल	**64332.65**	**107380.56**

** ऊपर प्रकट राशि में परिवर्तन शामिल नहीं है, जो सीमिति है।

32. **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण इस प्रकार हैं:**

(रूपए लाख में)

विवरण	**दिनांक 31 मार्च 2020 हेतु**
(क) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में मूल राशि और उस पर देय ब्याज, जो किसी आपूर्तिकर्ता को बकाया है: • सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि	- (शून्य)

• उपर्युक्त पर ब्याज	- (शून्य)
(ख) प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि से आगे आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में रीजन (क्षेत्र) द्वारा देय ब्याज की राशि।	- (शून्य)
(ग) भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देयस और भुगतानयोग्य ब्याज की राशि (वर्ष के दौरान जिसका भुगतान किया गया है किन्तु निर्धारित तिथि के पश्चात) किन्तु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	- (शून्य)
(घ) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज और शेष अप्रदत्त राशि;	- (शून्य)
(ड.) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत आगामी वर्षों में भी देय शेष ब्याज की राशि, ऐसी तारीख जबतक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान न हो गई हो, जो कि कटौतीयोग्य व्ययों की अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु है।	- (शून्य)

33. **सेवा रियायत व्यवस्थाएं**

सार्वजनिक से निजी सेवा रियायत की व्यवस्था को परिशिष्ट "ग" के अनुसार दर्ज किया जाता है - सेवा रियायत व्यवस्था (इंड एएस -115)। परिशिष्ट "ग" यदि लागू हो:

क) गारंटर नियंत्रित और विनियमित करेगा कि प्रचालक आधारभूत सुविधाओं के साथ कौन-सी सेवाएं प्रदान करेगा, ये सेवाएं किसके लिए प्रदान की जाएंगी और किस कीमत पर इन्हें प्रदान की जाएंगी; तथा

ख) गारंटर स्वामित्व, लाभकारी पात्रता, या अन्यथा व्यवस्था की अवधि के अंतर्गत अवसंरचना में किसी महत्वपूर्ण अवशिष्ट हित के माध्यम से नियंत्रित करेगा।

यदि उपरोक्त दोनों शर्तों को एक साथ पूरा किया जाता है, तो एक वित्तीय परिसंपत्ति को इस स्तर तक स्वीकार किया जाएगा कि प्रचालक को सेवा के लिए या गारंटर के विवेक पर नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने विशेषाधिकार होगा।

इन वित्तीय परिसंपत्तियों को आरंभिक लागत पर स्वीकार किया जाएगा, जो प्रचालनों के कारण प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध सेवाओं के उचित मूल्य जमा अन्य प्रत्यक्ष लागतों पर होगी। इन्हें तत्पश्चात प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधित लागत पर लेखांकित किया जाएगा।

कंपनी (इरकॉन वीकेईएल) ने दिनांक 25.08.2018 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ सेवा रियायत की व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। जिसकी शर्तों के अनुसार एनएचएआई (गारंटर) ने अभिकल्प, निर्मण, वित्तपोषण, प्रचालन तथा अंतरण (डीबीएफओटी) पर हाइब्राइड वार्षिकी परियोजना आधार पर आठ लेन निर्माण के लिए गुजरात राज्य में किमी 323.00 से किमी 355.00 (लगभग 32 किमी) पर (वडोदरा मुंबीई एक्सप्रेसवे के सपना से पदरा खंड तक) (चरण 1क- पैकेज-।।।) तक वडोदरा किम एक्सप्रेस वे के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए कंपनी को प्राधिकृत किया है। उक्त समझौते के संदर्भ में, इरकॉन वीकेईएल के पास परियोजना के निर्माण को पूरा करने और परियोजना की संपत्तियों को उचित कार्यशील स्थिति में रखने का दायित्व है । परियोजना वार्षिकी पैटर्न पर आधारित है।

रियायत की अवधि नियत तिथि से 15 वर्ष होगी। रियायत अवधि के अंत में, परिसंपत्तियों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को वापस स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

समझौते के संदर्भ में महत्वपूर्ण उल्लंघन के मामले में एनएचएआई और इरकॉनडीएचएचएल के पास इस समझौते के अनुसार चूक की घटना का समाधान करने में सक्षम न होनी की स्थिति में समझौते को समाप्त करने का अधिकार है।

इंड एस 115 के परिशिष्ट-घ के संदर्भ में प्रकटीकरण

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2016 में अधिसूचित अनुसार, इंड एएस -115: ग्राहकों से राजस्व के परिशिष्ट-घ में अपेक्षित प्रकटनों के संदर्भ में, तुलन पत्र की तारीख तक वित्तीय विवरणों में विचार की गई राशि इस प्रकार है:

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
स्वीकृत संविदा राजस्व	487,61.53	619,28.13
वह की गई लागत की सकल राशि	487,61.53	619,28.13
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम की राशि	शून्य	186,50.00
ग्राहकों से प्रतिधारण राशि	6,36.78	शून्य
वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए निर्माण सेवाओं के विनिमय हेतु उक्त अवधि में स्वीकृत लाभ/(हानि)	-	-
संविदागत कार्यों के लिए ग्राहकों से देय सकल राशि	44,29.14	114,61.22

34. <u>कोविड-19 प्रकटन</u>

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने दिनांक 11 मार्च 2020 को नोवेल कोरोनावायरस (कोविड–19) को वैश्विक महामारी घोषित की है। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार ने दिनांक 24 मार्च 2020 को देशभर में लॉकडाउन की घोषणा की थी और गैर–अनिवार्य व्यवसायों को अस्थायी रूप से बंद करने, वस्तुओं और सेवाओं के संचलन, यात्रा आदि में प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए थे।

कंपनी द्वारा निष्पादित किए जाने वाले व्यवसाय की प्रकृति गैर अनिवार्य श्रेणी में आती है, जिसके कारण समूह को केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जारी लॉकडाउन अनुदेशों के अनुपालन में अपने सभी चालू प्रचालन परियोजनाओ ंको अस्थायी रूप से निलंबित करना पड़ा। इन राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण परियोजना निष्पादन, आपूर्ति श्रृंखला लॉकडाउन के दौरान कार्मिकों की अनुपलब्धता के रूप में दिनांक 22 मार्च 2020 से कंपनी के सामान्य प्रचालनों पर प्रभाव पड़ा था।

केन्द्रीय और राज्य सरकार ने लॉकडाउन को समाप्त करने के लिए कदम उठाने आरंभ किए हैं और समूह इसका अनुपालन कर रही है, चूंकि समूह ने उपलबध संसाधनों के आधार पर अपनी गतिविधियों को आरंभ कर दिया है। समूह धीरे धीरे मई के आरंभ से विभिन्न परियोजना स्थलों पर अपने प्रचालनों को आरंभ करने में सक्षम हुई है। समूह ने अपने सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थता को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव पूर्वोपाय किए हैं और कोविड–19 के प्रसार के निवारण के लिए एसओवी निर्धारित की है तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। मार्च 2021 से कोविड–19 की दूसरी लहर के वर्तमान प्रभाव के कारण, और अप्रैल 2021 से राष्ट्रव्यापी

लॉकडाउन के कारण, कंपनी को आशा है कि धीरे धीरे प्रवासी श्रमिकों के कार्य पर वापसआने से लॉकडा उनके पूर्व की स्थिति जैसी सामान्यता प्राप्त होने पर निर्माण कार्य अपने इष्टतम स्तर पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही साथ कंपनी आगे कि निर्माण कार्यों के गति लााने के लिए प्रौद्योगिकी के उन्नत प्रयोगों का भी दोहन कर रही है।

वित्तीय निष्पादन

कंपनी विश्वास करती है कि वर्ष 2020–21 के लिए, कोविड–19 महामारी का राजस्व और लाभप्रदत्ता की दृष्टि से कंपनी के वित्तीय निष्पादन पर प्रभाव पड़ा है, जिसा प्रभाव वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) को प्राप्त करने में पडेगा।

तरलता (नकदी)

कंपनी के पास अपने प्रचालन के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध है। कंपनी के अल्पकालीन निवेश ऐसे माध्यमों में किए गए हैं कि उन्हें आवश्यकता के आधार पर नकदीकृत किया जा सकता है।

कंपनी को आशा है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के संबंध में उपलब्ध सूचना के आधार पर व्यवसाय के सामान्य प्रक्रिया में कंपनी परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश परिसंपत्तियों, अमूर्त परिसंपत्तियों, प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियों, दरसूची, अग्रिमों, व्यापार प्राप्यों, आस्थगित करों, अन्य वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों आदि सहित अपनी सभी परिसंपत्तियों के वहन मूल्य को वसूल कर लेगी।

सुगम प्रचालन हेतु किए गए उपाय

लॉकडाउन अवधि के दौरान, कंपनी ने कोविड–19 लॉकडाउन के पश्चात व्यवहास हेतु नए सामान्य स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। कंपनी के गैर–महत्वपूर्ण स्थलों पर कार्य करने के लिए कंपनी सरकारी प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कर्मचारियों के लिए घर से कार्य की शर्तों और रोस्टर को सुचारू बना रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए कोविड–19 के संबंध में कड़ी मॉनीटिरिंग प्रक्रियों को स्थापित किया है:

- सभी कर्मचारियों और आगंतुकों की थर्मल स्क्रीनिंग
- नियमित आधार पर परिसरों और वाहनों का सेनिटाइजेशन
- सभी कार्य स्थलों पर सामाजिक दूरी का अनुरक्षण
- मास्क पहनने और नियमित रूप से हाथों को धोने की प्रक्रिया को लागू करना
- सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों का नियमित स्वास्थ्य जांच
- अपने सभी कर्मचारियों के लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन

कोविड–19 के भावी प्रभाव का आकलन

परियोजना का कार्य आरंभ होने के साथ, समूह नियमित रूप से अपने प्रचालनों की समीक्षा कर रही है और इस महामारी के कारण हुए समय के नुकसान की भरपाई करने के हर संभाव प्रयास कर रह है। हालांकि प्रबंधन को संभावना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में राजस्व और लाभप्रदत्ता में कमी होगी, समय समयस पर लॉकडाउन अवरोध के प्रभाव का आंकलन किया जा रहा है और इसकी सूचना राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों और स्वास्थ्य प्राधिकारियों को दी जाएगी चूंकि हम वर्तमान स्थिति में आगे बढ रहे हैं। आगे क्या स्थिति होगी, यह राज्य और केंद्र सरकारों और स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न महामारी रोकथाम प्रयासों की सफलता पर निर्भर करता है। महामारी की दूसरी लहर सहित कोविड–19 महामारी की अवधि और प्रभाव वर्तमान में रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार स्पष्ट नहीं है। इसलिए, इन परिणामों की अवधि और गंभीरता के साथ–साथ भविष्य की अवधि के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति और परिणामों पर उनके प्रभाव का मजबूती से अनुमान लगाना संभव नहीं है। इसलिए, इस स्तर पर विश्वसनीयता के साथ इसके भावी प्रभावों का पूर्वानुमान संभव नही हैं।

वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का वास्तविक प्रभाव अनुमानों से भिन्न हो सकता है, क्योंकि कोविड–19 की स्थिति भारत और विश्व में फैली हुई है। तथापि, समूह भावी आर्थिक स्थितियों में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की गहन निगरानी जारी रखेगी।

35. कतिपय पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के प्रस्तुतीकरणों के साथ समरूपता के लिए पुनवर्गीकृत किया गया है। इन पुनर्वर्गीकरणों के कारण प्रचालनों के रिपोर्टिड परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष को आंकड़ों को प्रकोष्ठ () में रखा गया है ताकि वर्तमान आंकड़ों से उनकी भिन्नता को सुनिश्चित किया जा सके।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

कृते एन सी राज एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 002249एन

ह/-	**ह/-**		**ह/-**
राहुल गोयल	**(सुरजीत दत्ता)**		**(योगेश कुमार मिश्रा)**
स.सं: 093114	**निदेशक**		**अध्यक्ष**
	डीआईएन: 06687032		**डीआईएन: 075654014**
	ह/-	**ह/-**	**ह/-**
स्थान : नई दिल्ली	**(नितेश के.जी.असती)**	**(राज कुमार)**	**(रिची महाजन)**
दिनांक: 15.06.2021	**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**कंपनी सचिव**

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड** का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अनुसार तथा आश्वासन मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 15.06.2021 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों का अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा न करने का निर्णय लिया है।

कृते एवं की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

ह/-
के.एस.रामूवालिया
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
रेल वाणिज्य, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 20.07.2021

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

('इरकॉनवीकेईएल')

पंजीकृत और निगमित कार्यालय :

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017, भारत

दूरभाष: +91-11-29565666 | फैक्स: +91-11-26522000, 26854000

ई-मेल आईडी : csirconvkel@gmail.com